a similar practice. These are the few points which the hon. Members have made out and I have clarified the position. Again, before I conclude I would like to say that I am grateful to all the hon. Members who have given their unqualified support to this piece of legislation.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill further to amend the Workmen's Compensation Act, 1923, as passed by Rajya Sabha be taken into consideration".

The motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up Clause by Clause consideration of the Bill. The question is :

"That Clauses 2 to 7 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bills

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI VEERENDRA PATIL) : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.55 hrs.

UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENTS BILL. ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL

UNION DUTIES OF EXCISE (ELECTRICITY) DISTRIBUTION (AMENDMENT) BILL AND ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHANA) : On behalf of SHRI PRANAB MUKHERJEE, I beg to move :

"That the Bill to amend the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1979, be taken into consideration."*

"That the Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, be taken into consideration".*

"That the Bill to amend the Union Duties of Excise (Electricity) Distribution Act, 1980, be taken into consideration."*

"That the Bill further to amend the Estate Duty (Distribution) Act, 1262, be taken into consideration."

The hon. Members are aware that the Finance Commission is required to make recommendations to the President under Article 280 of the Constitution in regard to the taxes and duties which are to be shared with the States, and the interee distribution among the States of the share of States. The four Bills which I move today arise out of the recommendations of the Eighth Finance Commission made in its interim report for the year 1984-85. This report along with the memorandum on action taken was laid on the Table of the House on 9.12.1983, as required under Article 281 of the Constitution. In its interim report, the Eighth Finance Commission has *inter alia* recommended that the existing arrangement in regard to distribution of Union Excise Duties and Estate Duty on property other than agricultural lands may be continued in 1984-85 subject to such modification as may be made in the final report.

13.58 hrs.

(SHRI R.S. SPARROW *in the chair*)

The final report of the Commission was submitted to the President on the 30th April, 1984 and it will take some time to process the recommendations made in that report and lay it on the Table of the House along with memorandum of action taken thereon. This will be possible only in the next session of Parliament.

In the meantime, the first instalment for the current year of the share of Statis in Union excise duties is to be paid in May.

* Moved with the recommendation of the President.

Hence the need for these legislations. I do not wish to dwell at length on these Bills as no new principles are being introduced and the objective is only to continue the existing arrangements pending decisions on the recommendations contained in the final report of the Eighth Finance Commission.

MR. CHAIRMAN : Motions moved :

"That the Bill to amend the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1979, be taken into consideration."

"That the Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, be taken into consideration".

"That the Bill to amend the Union Duties of Excise (Electricity) Distribution Act, 1980, be taken into consideration."

"That the Bill further to amend the Estate Duty (Distribution) Act, 1962, be taken into consideration."

Now, Shri Satyasadhan Chakraborty.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Mr Chairman, Sir, these Bills, as the Minister has already said, to continue the existing arrangements till the finanl recomendations of the Finance Commission are submitted. We are anxiously awaiting, and particularly the States, as to what are the recommendations of the Eighth Finance Commission. But in the meanwhile, the present arrangement will continue, and almost all the States, irrespective of their political affiliations have expressed their dissatisfaction over the existing arrangement of sharing of resources. You will notice that the present over-centralisation of economic powers and resources has created imbalance in our country, resulting in deprivation and also backwardness of some areas.

When the Constitution was being framed, the founding fathers of the Constitution assured that the States will depend on the income of shared taxes. They were given some measure of autonomy in financial relations. But then, by subsequent amendment of the Constitution and also because of the policy pursued by the Central Government, the States have been losing not only their share, but they are increasingly dependant on the volition of the Central Government so far as the resources are concerned. Sir, you will see that under Article 270, sharing of taxes on income is obligatory. It will be seen that the Central-Government is depriving the States of this income by taking Corporation Tax out of income tax. The 1959 Finance Act of Parliament actually deprived the States of the share from income tax. You will notice that the Corporate taxes are increasing and this elastic source has been taken out of the sphere of sharing of taxes, thereby depriving the States of hundreds and thousand of crores of rupees. In 1982-83, income from corporate tax was Rs. 2339 crores from income tax it was Rs. 1563 crores. So, this amount of Rs. 2339 crores is, at present, not shared with the States. But the founding fathers of the Constitution wanted that this should be shared by the Central and State Governments. The State Goverments are being deprived of their legitimate share of income from the corporate tax.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : What about the recommendations of the Finance Commission ? The Seventh Finance Commission has recommended that 85% of income from income-tax will go to the States. That is true. But you will see that income from income-tax is not rising, but income from corporate taxes is rising. But the most elastic source has been kept for the Centre, which was not the purpose of the Constitution, but, this has been done by the Central Government.

You also know that so far as the sharing of basic excise duties is concerned, it is discretionary. The 7th Finance Commission recommended that 40% of the basic excise-duties is to be transferred to the States. That is true, but what is happening ? The States used to depend or sales tax; and they still do pepend on it. Increasingly, commodities are taken out of the purview of sales tax, thereby depriving the States of their idependent source of income. They now depend on the Central Government.

The Central Government actually started an assault on the powers of the States in 1956, when Articles 269 and 286 were amended; and this was followed by the Central Sales Tax law. I am not going

into details because of paucity of time. What has been done ? Certain commodities have been declared as important for inter-State commerce and trade. And the State Governments can impose sales tax only have 4%. If they want to top out of the sharing of excise duty, thereby first of all making the State Governments depndent on the Central Government for their revenue, and also limiting the powers of the States upto 4%.

So, what is happening ? State Governments are losing their independent power, and increasingly becoming dependent on the grants by Central Government.

The resources from the Centre can be transferred in three ways : statutory grants, discretionary grants and laons. You will notice that the percentage of statutory grants or percentage of statutory transfer of resources is coming down; and the percentage of discretionary grants and laons is going up. What does it mean? As the development works are increasing, the gap between the revenue of the States and their expenditure is widening. The more it widens, the more are the States becoming dependent on Central Government. And you will see that to-day, most of the discretionary grants and loans are tied loans or tied grants. And through their enormous powers, the Central Government is influencing the priorities of States, and also influencing their decisions. This is done through the Planning Commission. All the States must get approval from the Planning Commission for their States' Plans and also depend for their revenue on the Central Government—loans and grants. While releasing these grants, while sanctioning loans, the Central Government, through the Planning Commission, compel the States to the Central Government's line. Actually, the States have no independent power of raising their resources; they also do not have independent power to determine their own plans, their own programmes. They are entirely dependent on the Central Government. The Central Government actually controls the States through the process of granting huge grants and loans.

PROF. N.G. RANGA : It is mutual.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It has become a position of a master and a servant. You dictate and they accept. If they do not accept whatever you dictate, you do not give them the money. So, what can the poor State Governments do. They will have to accept your dictate willy-nilly; and if the non-Congress I State Governments voice their dissatisfaction, then the Central Government Finance Minister is there to stop their overdrafts. He says, "I will not give grants ; I will cut the size of your plans". In this way, the discontent may be created in the States. That is how they try to punish them.

PROF. N.G. RANGA : You bully the Centre;

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Today, the State Governments have actually no independent elastic source of their revenue. They heavily depend on sales tax. But then there is a move to take out certain commodities out of the purviesw of the sales tax and to bring them within the purview of the excise duty-for which they lose their independent power of raising their revenue : they also lose revenue heavily if they become depend more and more on the Central Government. These are very very dangerous developments. This was not envisaged by the founding fathers of the Constitution. They wanted a cooprative federation-the states and the Central Government operating as equal parteners. Now because of this planning process, because of the policy pursued by the Central Government, they are not equal partners; they have to submit to the will of the Central Government, to the Planning Commission.

PROF. N.G. RANGA : Does that not mean that the centre takes up the responsibility of incurring the displeasure of the public by raising excise duty ? On the other hand, the States are saved from the terrible trouble of having to raise their own sales tax and incurring displeasure of the people afterwards, losing their support.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : You are trying to save the States who do not want to be saved from you; they want to be saved from you because you are taking their independent power. If they can raise their own revenue indepedently, they can spend it. But, wherever you take the power, they are to come to you; they have to depend upon you. So,

from the position of independence, throggh this measure, they come to the position of dependent on you whereby they will be compelled to fall in line with you and accept your dictate; thereby you will have more political control over the states.

Through the planning process, the Central Government is taking up programmes which fall within the jurisdiction of the States. So, where the Constitution demarcates the sphere of the States, the Central Government intrudes it through the planning process and through the money power and thereby eroding the power of the States.

So, this I think is not good for a frderation. Now, the Minister was speaking about the Finance Commission. What is the position of the Finance Commission ? The Finance Commission was supposed to be an umpire between the Centre and the States so far as the aspect of resources is concerned. I would like to quote from the Finance Commission itself. You will see what has become of the position of the Finance Commission. The Third Finance Commission recorded ——I quote———

> "The role of the Finance Commission comes to be at best that of an agency to review the forecasts of revenue and expenditure submitted by the states and the acceptance of the revenue element of the Plan as indicated by the Planning Commission for determining the quantum or devolution as grant-in-aid to be made and at worst its function is merely to undertake an arithmetical exercise of devolution based on amount of assistance for each State already settled by the Planning Commission to be made under different heads on the basis of certain principles to be prescribed."

Here, the Third Finance Commission says that actually the role of the Finance Commission is almost redundant. Everything is done by the Planning Commission. Everything is determined by the Planning Commission. The Planning Commission has the overriding power. But the Planning Commission has no statutory basis. Where the States are not represented. In the National Development Council the States are there. But the National Development Council meetings have almost become a ritual, and it is the Planning Commission which has become powerful. I am decidedly in favour of planning. I want planned development of our country. It is through planning that we can develop. There can be balanced development, through planning. But what is the composition of the Planning Commission ? Previously in the Planning Commission all the Ministers-or at least the important Ministers—used to be there. But the Administrative Reforms Commission suggested that experts should be there. But who are the experts now? Now, we have the experts who are not independent economists but-economists chosen by the all powerful Prime Minister. Where are the States? Where is the voice of the States heard ? What will the States do if everything is decided by the Planning Commissicn and their voice is not heard ? They are not represented. They have to accept whatever is forced by the Planning Commission. And also, by planning today we mean all the bureaucrats. They will determine everything, because there is no room for independent economists there.

PROF. N.G. RANGA : At every stage the States' Ministers are consulted.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : This is very dangerous. It will be seen that while sanctioning the funds while actually transferring resources through their discretionary power the economic principles are not followed. The political considerations generally influence the transfer of resources from the Centre to the States. A State Government which is liked by the Central Government will be the greatest beneficiary.

PROF. N.G. RANGA : That is wrong.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : The States which are being run by the Opposition Parties will be punished. Prof. Ranga is saying 'no'. I can cite the question of West Bengal. What have you done so far as its overdraft is concerned ? You have stopped payment to the Government of West Bengal. But you see '*The Statesman*' which has published the report that today Punjab has the largest amount of

overdraft. There are other States which have overdrafts. But they are singling out West Bengal with a political purpose. I have the names of all the Congress (I) States which have overdrafts. I can quote from the documents that even before, when there were all Congress (I) States and no opposition State, they had the problem of overdrafts. Why do the States have overdrafts ? Because of the fact that the Central Government can create money but the state Governments cannot create money. Before you say to the States that you must follow sound financial principles, and there should be judicious husbanding of resources, can I not say that before sermonising you should follow it yourself ? Are you following your policy of keeping the Budget balanced ? If you cannot do that, how is it that you are telling the States to keep their budgets balanced ? The total deficit of the States is less than the deficit that is incurred by the Central Government. Can you say that all your expenditure is planned expenditure and developmental expenditure ? You give dearness allowance to the Central Government employees. Very good; you should give it. The prices are rising. What should the State Governments do ? They should naturally also increase the dearness allowance of their employees. The moment they do it, you say that it is a wasteful expenditure, that they cannot do it and that a non-developmental expenditure has been made. First you do it and then you say to the States that they cannot do it. What will the States do ? They will have to depend on you. Since they do not have any independent source, they depend on your mercy. Even that mercy they do not get from you. Not only the Left Front Governments of West Bengal and Tripura but also the Congress (I) States have pleaded before the Seventh Finance Commission that they do not want mercy; they want what rightfully belongs to them. I would ask the Minister to answer all these points. Do you want to keep the federation intact ? If you want that, how is it that the joint responsibility of sharing of resources is unitary ? All the welfare activities have to be done by the States, but for the money they will have to come to Delhi as a begger and pray to the Finance Minister to give them loans, money. I can give the statistics which show that of the resources raised by the Centre, 70 per cent of them are kept by the Centre for its expenditure.

Only 30 per cent is transfrred to the States. Whatever resources you raise, you keep 70 per cent with you and only 30 per cent you give to the States. But what was the original scheme in the Constitution ? As per the original scheme in the Constitution, a great part of the resources was to be raised by the Centre and shared with the States so that the States should not depend on loans or discretionary grants-in-aid but should depend on shared taxes. Now you have totally distorted the whole scheme. And what has happened ? There is no balanced dovelopment. The whole eastern region is deprived. While you allocate resources because of your political purpose, you create imbalance in your investment, in your transfer of resources, and that is why because of these regional disparities, secessionist and disruptive forces take advantage of it. Had there been equitable and balanced distribution of resources, had there been balanced development of all the regions, you could have kept the discontentment within a limit. But that is not being done because of these regional imbalances. Why is it that today you find that the States are not in a mood to accept it ? Not only West Bengal or Tripura or Karnataka or Kashmir, even the Chief Minister of your own State, Bihar, has said that they want independent power. What are you doing ? You are depriving the States. When you raise administered prices, you do not share with the States what you get. Had it been the Excise Duty, you would have to share but you do not do that. You will increase the administered prices of coal, of petroleum products and you will keep the whole amount with you. But that was not the intention on the framers of the Constitution. You will see how injustice is being done.

Now, I will say about the royalty for minerals. You raise the prices but the States are deprived because their royalties do not increase *pari passu* with the rise in prices only you get the advantage. That is why today Assam is demanding—Assam

is not a Leftist Government, your own Government is there—that their royalty should be increased. 'West Bengal is also demanding that you are raising the prices of coal but you are depriving that State of the increased income. In these various ways the Central Government is depriving the States. That is why I demand that there should be a reversal of the policy of the Central Government. Apart from the sharing of taxes, loans, grants-in-aid and royalties, today commercial banks are also advancing to the tune of Rs. 14,000 crores. Financial institutions are also advancing. But the priorities of investment and development are determined by the Central Government because the Central Government controls the banks and the financial institutions. Such a huge amount is controlled by the Central Government and they decide the priorities and thereby, because of their political considerations, they deprive certain regions. I can quote the figure from my State. More than Rs. 6,000 crores you get from West Bengal as income-tax and from other resources but West Bengal gets back only something more than Rs. 1,500 crores.

The commercial banks also get deposits from there, but the money is invested elsewhere. This is creating imbalance, disparity, and this is generating political discontent in different regions. I do not know what is the report of the Eighth Finance commission but I want a reversal of this policy. Let there be no confrontation. We are interested in economic development and planning. You must accept that all State Governments are responsible State Governments, elected by the people, as you are elected by the people, as you have some commitment to the people, they have also commitment to the people. Let that co-operation be on the basis of equality. Do not destroy that equality. You have already reduced the States to the position of magnified municipalities, which is dangerous for the unity of India. If we want to keep our country together, we must work together on the basis of equality and justice. If this is denied, it will be very difficult to keep the nation together. Already there are ominous signs. I would request the Central Government and the Minister to read the writing on the wall, what is happening. We are sincerely interested in keeping the country together, in making the country strong. For that we demand that there should be a reveral of the policy. That is why I demand that the proceeds of the corporation tax and the surcharge on income-tax be made sharable with the States.

(2) The provisions of articles 268 and 269 should be fully taken advantage of. (3) The scheme of additional duties of excise should be abolished. (4) 40 per cent of the yield of every increase in administered prices should be passed on to the States. (5) A review should be made of the principles guiding decisions as regards "declared goods". (6) The royalty payable to the States for their mineral resources should be determined on an *ad valorem* basis, in consultation with the States. (7) The State Governments should be allowed representation on a rotational basis on the Central and Local Boards of Directors of the Reserve Bank of India and they should be permitted to open commercial banks to serve the interests of the people. (8) An institutional forum be set up for consultation between the Union and the State Governments on fiscal issues which are of mutual concern. I would also request that the planning body be reconstituted and the National Development Council be made real.

The Ministers here generally attack the West Bengal Government. Our Finance Minister, Shri Pranab Mukherjee, is not here. He was misleading the House when he said that the West Bengal Government is spending money on things which are unnecessary and it is not concentrating on development planning. Here I would draw attention of the House to a speech made by the State Finance Minister Shri Ashok Mitra, where he has shown that our developmental expenditure has increased three-fold. West Bengal is a State which is most frugal, so far as sumptuary allowance is concerned. While it comes to lakhs of rupees in Maharashtra, so far as the Chief Minister of West Bengal is concerned, it is only some thousands of rupees.

So, the charge that West Bengal is squandering resources is baseless. Can you tell me where the State Government can im-

pose a cut in expenditure ? Do you want a cut in the educational or medical expenditure ? When you make a charge that the West Bengal Government is squandering money, you should be specific. I challenge the Finance Minister to let us know where we should have a cut, where we are spending money while other States are not spending it.

So far as the salaries of West Bengal Government employees are concerned, they are not higher than those in some of the States in India. Where the salary scales of teachers are concerned, they are not higher than those of teachers in Punjab. Actually, the State was neglected by the Congress (I) Government. We are paying for the loans, and it is 34 per cent; we have to repay the loans. This was engineered by the Congrees (I) Government. It is 31 per cent and it is the highest because the previous government took all these loans, and we have to pay back those loans. It is a heavy burden on West Bengal. So, before you charge the Government, you verify the facts. Let economic considerations prevail, not political considerations, because we have a government there which has a different political affiliaton, you have started almost an economic iwar against this Government. This should be stopped because you have the responsibility as the Central Government. That is why, Sir, you kindly permit me, before I conclude, to quote from what Mr. Ashok Mitra has said :

> "Despite these major constraints, additional resources mobilised by the State Government in recent years have been among the highest in the country."

This year many Congress (I) governments have not mobilised any additional resources, but it is the non-Congress (I) governments including West Bengal government who have mobilised additional resources. And you are charging the West Bengal Government that they are not doing it.

Again I quote :

> "It is a matter of equal satisfaction that a recent study by the Reserve Bank of India indicates that development expenditure as a proportion of total expenditure during the past few years has been consistently high in West Bengal. If we limit ourselves to expenditure on the Plan, it has nearly tripled during the six-year period 1977-78 to 1982-83 compared to the preceding six-year period 1971-72 to 1976-77; the proportion of Plan expenditure to total expenditure has also gone up significantly since 1977-78. This advance could be registered despite the fact that *per capita* Plan assistance from the Centre is the lowest for West Bengal among all States, and has been generally so since the period of the Third Five-Year Plan."

Since this is a lie to the propaganda that has been unleashed by the Central Government against the West Bengal Government I want the Minister to answer what our Finance Minister has said that our Plan expenditure is going up, developmental expenditure is going up.

Before concluding, I would request you to consider one thing. The recommendations of the Enghth Finance Commission are going to be considered by you. But the State Governments will have to decide their Plan on the basis of the recommendations of the Eighth Finance Commission. Otherwise, how will they know what will be the revenue, what will be the resources, and how will they determine the Plan size ? We are in a predicament. We cannot finalise our Plan size because we do not know what are the recommendations of the Eighth Finance Commission.

The Plan size of West Bengal has not been finalised. Recently, the Chief Minister of West Bengal has written to the Minister urging her to call a Meeting of the National Development Council so that the size of the Plan can be discussed there and finalised, so that we can go ahead with our Plan. We also request the Central Government to increase the Plan assistance. Unfortunately we have become dependent on you. on the assistance you give to the States. We urge that the Central Government should take a very rational view of the whole thing. You have appointed Sarkaria Commission. Before Sarkaria Commission, recommends, something, you should accept the demands of the States. Don't take it as a challenge, but take it as your responsibility so that there will be equitable sharing, more transfer of

resources to the States for developmental xpenditure and there should be a real co-operative federation.

With these words, I conclude.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, संघ उत्पादन-शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1984 में कहा गया है कि यह प्रबन्ध एक अप्रैल, 1984 में प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अन्तिम रूप से जारी रखे जाने के सम्बन्ध में किया गया है। यह इस विधेयक की खासियत है। इन चारों विधेयकों का मुख्य उद्देश्य उस व्यवस्था को आगे तक बनाए रखना है। इन विधेयकों और संघ उत्पादन शुल्क (विद्युत) वितरण अधिनियम 1980 के संदर्भ में मैं दो-एक बातें कहना चाहता हूं। वैसे तो मेरे साथियों ने इन के बारे में काफी कह दिया है, इन सब में वही बुनियादी बात कही गई है कि सरकार ने जो पद्धति अपनाई है, उत्पादन शुल्क का वितरण केंद्र और राज्यों के बीच कैसे किया जाए। हमारे सामने सबसे बुनियादी प्रश्न यह उपस्थित होता है कि संविधान निर्माताओं की मंशा यही रही थी कि केंद्र और राज्यों के बीच मधुर सम्बन्ध बने रहें, और उसके लिए उन्होंने फैडरल स्ट्रक्चर का निर्माण किया, फाइनेन्श्यल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज का सामान वितरण किया गया। उनकी मंशा स्पष्ट थी कि राज्यों को उस आमदनी का शेयर मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक नई स्थिति बनी और केंद्र सरकार ने उत्पादन शुल्क लगाना आरम्भ कर दिया और इस कारण जहां बहुत सी चीजों पर पहले सेल्स टैक्स लगाया जाता था, उसको बदल कर उत्पादन शुल्क लगने लगा। यदि आप गौर से देखें तो उसका उद्देश्य सरकार की ओर से अधिक राजस्व की प्राप्ति बनाया गया जब कि वास्तव में वह स्थिति नहीं थी। आप देखिए कि पहले सेलस टैक्स लगने से राज्यों का उसका जो हिस्सा मिलता था, उत्पादन शुल्क लगाने के बाद उस राजस्व में कितनी कमी या वेशी हुई। यदि आपने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया तो संविधान बनाने वालों की सही मंशा के विरुद्ध जाने की बात होगी। क्योंकि उन्होंने सही सोचा था और सही दिशा में व्यवस्था की थी ताकि राजस्व का सही वितरण हो सके। अभी यहां पर ओवर ड्राफ्ट के बारे में काफी चर्चा हुई और मैं भी उसमें भाग लेते हुए कहना चाहता हूं कि हमें ओवरड्राफ्ट के विषय पर गहराई से विचार करना चाहिए। वैसे मैं वित्तीय मामलों में विशेष जानकारी नहीं रखता और साधारण ढंग से सोचने वालों की तरह यह विचार रखता हूं कि इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को मिलकर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आखिर ओवरड्राफ्ट क्यों होता है, क्योंकि आपकी प्लानिंग और फाइनेंस कमीशन के बीच किसी तरह का तालमेल नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि किस के माध्यम से आप राजस्व प्राप्त करेंगे, किस के माध्यम से कर लगायेंगे और करों का वितरण कैसे होगा। आपके पास आठवें वित्त आयोग की रिकमैंन्डेशन आ गई है, लेकिन आपने अभी उस पर विचार करना है। अभी तक तो आप पिछले वित्त आयोग की सिफारिशो के अनुसार चल रहे हैं। यदि आप कोई प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, यदि उसमें कोई डेवलपमेंट की बात आयेगी तो उसके राजस्व प्राप्ति के स्त्रोत क्या होंगे। वह फाइनेंस कमीशन द्वारा ही तो निर्धारित किए जाएंगे। जब फाइनेंस कमीशन की रिकमैन्डेशन पर आप अभी तक विचार कर रहे हैं तो उसको लागू कब तक करेंगे, उसमें समय लगेगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपकी प्लानिंग सही है तो उसके लिए राजस्व की आवश्यकता होगी, उसमें राज्य सरकारों का कितना कन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तथा राज्य सरकारों का कन्ट्रीब्यूशन उनकी अपनी राजस्व प्राप्त करने की शक्ति पर भी निर्भर करता है।

यदि राज्यों की राजस्व प्राप्ति की शक्ति कम होगी तो निश्चित रूप से ओवर ड्राफ्ट

करेंगे। मेरे विचार में ओवर ड्राफ्ट की पद्धति को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। लेकिन स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि राज्य बाध्य हो जाते हैं। आप फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें देर से लागू करते हैं, और उत्पादन शुल्क जब लगाते है तो शुल्क लगाने से पहले इस बात का जरूर विचार कर लेना चाहिये कि राज्यों को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें कमी न आये। कर वितरण की जहां तक बात है उसके बारे में केंद्र सरकार का रवैया कुछ साफ होना चाहिये।

सरकारिया कमीशन राज्यों और केंद्र के अधिकारियों की चर्चा करेगा, लेकिन जैसे मेरे दोस्त बता रहे थे कौरपोरेशन के टैक्सों के बारे में भी राज्यों का कुछ हिस्सा होना चाहिये। आय कर का भी उचित हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिये तभी फैडरल स्ट्रक्चर मजबूत हो सकता है। फैडरल स्ट्रक्चर की वर्किंग को सुचारु रूप से चलाने के लिये आर्थिक ढंग से सुचारु रूप से चलना भी अति आवश्यक है। इन सब बातों पर केंद्रीय सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये, नहीं तो आगे चल कर राज्य सरकारों को नुकसान होगा। राज्यों में किसी भी पार्टी की सरकार हो ओवर ड्राफ्ट की बात दोनों के लिये एक सी लागू होनी चाहिये। इस बात को साफ करना चाहिये कि हमारा दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में साफ है तभी फैडरल स्ट्रक्चर मजबूत होगा और लोगों के मन में उसके प्रति आस्था पैदा होगी। इसलिये भेद-भाव वाली नीति को सरकार को समाप्त कर देना चाहिये।

इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, यह चार बिल जो सरकार की तरफ से आये हैं, पहले बिल के बारे में मुझे यह कहना है कि यूनियन ड्यूटीज आफ ऐक्साइज (डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट बिल, 1984...इस बिल के जरिये ड्यूटी लगाने का अधिकार भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है ताकि वह अपने रिसोर्सेज को ज्यादा मोबीलाइज कर सकें। अभी हमारे मार्क्सिस्ट पार्टी के साथी कह रहे थे कि भारत सरकार के द्वारा जो कर इकट्ठे किये जाते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा शेयर स्टेट गवर्नमैंट्स को दिया जाना चाहिये ताकि उनके रिसोर्सेज और ज्यादा बढ़ सकें और वह अपनी डैवलपमैंटल एक्टीविटीज को बढ़ा सकें। इसी मान्यता के आधार पर ही सातवें फाइनेन्स कमीशन ने जिस प्रकार की रिकमैंडेशन की हैं, उसके मुताबिक ड्यूटी लगाने का जो अधिकार भारत सरकार के पास था जिससे करीब 99.06 करोड़ रुपये की वसूली होती थी और जो स्टेट गवर्नमैंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब इस अधिकार को स्टेट गवर्नमैंट्स को देने की व्यवस्था इस बिल के जरिये की गई है। जब तक यह वसूल करने की प्रक्रिया ठीक से लागू न हो जाये तब तक भारत सरकार इसे वसूल करके स्टेट गवर्नमैंट्स को बांटती रहेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार बराबर इस विषय पर गंभीरता से विचार करती रही है कि स्टेट गवर्नमैंट्स को किस तरह से ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मौबलाइज करने का अवसर दे और उसी के अनुरूप यह व्यवस्था की गई है।

मगर एक बात का शक पैदा होता है जिस की आपको जानकारी है। इस देश में कई स्टेट गवर्नमैंट्स हैं, कहीं कांग्रेस (आई) की है, कहीं मार्क्सिस्ट पार्टी की और कहीं नेशनल कान्फ्रेंस की या जनता पार्टी की। आज स्टेट्स इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जितने देश में चल रहे हैं उनकी हालत बहुत बदतर है। इस ड्यूटी की वसूली का काम जो उन पर सौंपा जा रहा है, इससे कन्ज्यूमर, एग्रीकल्चरिस्ट और दूसरे लोगों पर बहुत दबाव पड़ने वाला है। भारत सरकार को यह भी देखना चाहिये कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिनकी फाइनेन्शियल कंडीशन बहुत खराब है, जिन पर हजारों करोड़ों रुपये का कर्जा है और सैकड़ों करोड़ रुपये का घाटा हर साल चलता है उससे हालत और खराब न हो जाये। इस व्यवस्था को

सुचारु रूप से चलाने के लिये वित्त मंत्री को कुछ अधिकार अपने पास रखने चाहियें ताकि ये अन्धाधुन्ध किसी प्रकार की लैवी लोगों पर न लगा दें जिससे आम काश्तकार की हालत बदत्तर हो जाये। इस बात को देखने के अलावा आपने जो स्टेट गवर्नमैंट्स की मदद का प्रयास किया है, वह प्रशंसनीय है।

एस्टेट ड्यूटी के जरिये थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता है और सातवें फाइनेन्स कमीशन के रिकमैंडेशन के आधार पर इसे वसूल करने का अधिकार भी आपने स्टेट गवर्नमैंट्स को दे दिया है। पहले बताया गया था कि इस मद में 2, 3, 4 करोड़ रुपये ही इकट्ठा होता रहा है और वह खर्च भी उतनी ही मात्रा में हो जाता है। इसलिये भारत सरकार को इससे कोई विशेष मदद नहीं मिलती थी इसीलिये इसे भी स्टेट गवर्नमेंट्स को सुपुर्द कर दिया गया है। यह एस्टेट ड्यूटी जिसकी मिकदार आपने डेढ़ लाख से दो लाख कर दी है, स्टेट गवर्नमैंट्स कैसे वसूल करेंगी इस का भी कोई प्रावधान बनाया जाना चाहिये।

जैसा हमारे एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जितनी भी स्टेट गवर्नमैंट्स हैं, उनमें ज्यादातर ऐसी हैं जिन पर ओवरड्राफ्ट है। वह अपनी आमदनी से ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। किसी प्रकार का फाइनेन्शियल कन्ट्रोल उन पर नहीं है। जब हमारी भारत सरकार उन पर किसी फाइनेन्शियल कंट्रोल करने की व्यवस्था करती है तो उनमें बड़ी चिल्लाहट होती है। यदि ओवरड्राफ्ट को रोकने का प्रयत्न किया जाता है, तो बिगुल बजा दिया जाता है कि भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को प्रैशराइज करना चाहती है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स गलत तरीके से खर्च करता है, उनपर कंट्रोल होना चाहिए। फाइनेन्शियल कंट्रोल के बिना अर्थ-व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है। इसलिए फाइनेंशियल कंट्रोल लागू करना आवश्यक है। मार्क्सिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट लोगों को प्रसन्न करने के लिये नई-नई व्यवस्थाएं करती है। वह सरकारी नौकरों को अतिरिक्त सुविधाएं देने की कोशिश करती है, जिससे सरकारी नौकर उसके साथ रहें और उसको मजबूत बनाने में सहयोग दें। पार्टी के कैडर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी कई तरह का खर्च किया जाता है। अनएंपलायमेंट का भत्ता देकर बहुत अननेसेसरी एक्सपेंडीचर किया जाता है। सारे देश में और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, जहां अनएंपलायमेंट का भत्ता दिया जाता है। हम चाहते है कि हर हाथ को काम देने की व्यवस्था की जाए, न कि बेकार आदमियों को भत्ता दिया जाए। वे लोग इस तरह के अननेसेसरी एक्सपेंडीचर की वजह से ओवरड्राफ्ट करते हैं और जब केन्द्रीय सरकार उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वे कहते हैं कि भारत सरकार उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है।

एस्टेट ड्यूटी का काम स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया है। अब तक लोगों को इससे कोई विशेष तकलीफ नहीं थी। लेकिन अब यह काम स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पहुंच गया है, जो अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए लोगों को अननेसेसेरिली परेशान करेगी। वे अपने रीसोर्सिज तो बढ़ा लेंगी, लेकिन लोगों की तकलीफें भी बढ़ जाएंगी। इसको रोकने की जरूरत है।

तीसरा बिल यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज (डिस्ट्रीब्यूशन) एमैंडमेंट बिल है। उसमें स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों का शेयर है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरे आइटम्ज में स्टेट गवर्नमेंट्स को जो शेयर मिलता था, उसको समाप्त करके एडीशनल ड्यूटी लगा कर उनके रीसोर्सिज बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को उसमें से बहुत थोड़ा शेयर मिलता है। आठवां फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश की है कि नेट प्रोसीड्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले की तरह चलते रहना चाहिए, जब तक कि वह इस बारे में अपनी क्लीयर-कट रिकमेंडेशन न दे दे।

लेकिन यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज के डिस्ट्रीब्यूशन में भी बड़ा अन्तर है। वेस्ट बंगाल को 8 परसेंट, किसी स्टेट को 13 परसेंट और किसी को 7 परसेंट दिया जा रहा है, लेकिन देश भर में जो सबसे पिछड़ी हुई स्टेट्स हैं, जिनको ज्यादा पैसा देना चाहिए, जैसे राजस्थान, उसको केवल 4 परसेंट शेयर मिलता है। सबसे पिछड़ी हुई स्टेट्स को सबसे कम पैसा दिया जाता है और सबसे एडवांस्ड स्टेट्स को, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडू आदि को, 8, 9, 10 और 13 परसेंट दिया जा रहा है। इस तरीके से बड़े पैमाने पर बड़ा परसेंटेज इसके जरिए से दिया जाता है और बैकवर्ड स्टेट्स को कम दिया जाता है। इस प्रकार के फर्क को निश्चित तरीके से निकालना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ आपको ऐसा क्राइटेरिया अपनाना चाहिए, जिसके आधार पर जो सबसे बैकवर्ड स्टेट हैं, उनको ज्यादा पैसा मिल सके और वे अपनी डवेलपमेंटल एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ा सकें। इस पर भी आपको ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

इसी तरीके से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आइटम्स पर आपने एडिशनल ड्यूटीज आफ एक्साइज (गुड्स आफ स्पेशियल इम्प्रोर्टेंस) बिल में आपने एक्साइज लगाई है, और स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि वे सेल्स टैक्स समाप्त कर दें। हालांकि हमारी सरकार ने कहा है कि हम सेल्स टैक्स को समाप्त करके कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आम जनता को इससे कठिनाई होती है और कई प्वाइंट्स पर उनसे वसूल किया जाता है। मगर जो एक्साइज के जरिए से वसूल किया जाता है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिब्यूट किया जाएगा, तो क्या वह सेल्स टैक्स जो उनके द्वारा वसूल होता है, तो इन आइटम्स की खानापूर्ति इन आइटम्स के जरिए से पूरी हो जाएगी या इन स्टेट गवर्नमेंट को जितनी आमदनी होती है, उसका बहुत बड़ा लास उठाना पड़ेगा—क्या इस बात को हमारी सरकार ने सोचा है? अगर कम पैसा एक्साइज ड्यूटी के जरिए से वसूल होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को भारत कम्पेंसेट करेगी, जितना पैसा वे सेल्सटैक्स के जरिए से वसूल करते थे। यह बात क्लीयर कट होनी चाहिए। इस बिल के जरिए से इस अमेंडमेंट के द्वारा यह अधिकार लिया जा रहा है, उससे निश्चित तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए निश्चित तरीके से आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, इसमें वही की वही व्यवस्था है, जो एडवांस स्टेट्स हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा और जो बैकवर्ड हैं, उनको कम मिलेगा। किसी को आठ परसेंट मिलता है, किसी को 11 परसेंट मिलता है और किसी को नौ परसेंट मिलता है। हालांकि सबसे ज्यादा बैकवर्ड स्टेट्स में शुगर, टुबैको, काटन फैब्रिक्स वूलन फैब्रिक्स और मैनमेड फाइबर तथा अन्य फैक्ट्रियां हैं, जिनके बारे में आप एक्साइज का अधिकार ले रहे हैं और सेल्स टैक्स समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो बैकवर्ड स्टेट हैं, उनका शेयर आपने बहुत कम रखा है। राजस्थान के लिए आपने सिर्फ 4.8 परसेंट रखा है, जबकि एडवांस स्टेट्स के लिए 12 परसेंट 11 परसेंट और 10 परसेंट रखा है। इसलिए तमाम स्टेट्स को, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनको आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश करनी चाहिए। ताकि डवेलपमेंटल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें।

इन चारों बिलों में यह सही है कि आपकी भावना अच्छी है, इनके जरिए से स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा आमदनी हो सकेगी। उनकी डवेलपमेंटल एक्टिविटीज बढ़ सकेगी या नहीं बढ़ सकेंगी, इन सारी बातों पर आपको गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। जो अधिकार आप स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वे उनका

दुरुपयोग करके वहां की जनता को परेशान न करें इस बात की भी क्या कोई गारन्टी है, ताकि सारी व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके। इस संबंध में भी निश्चित तरीके से सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

हमारे ये कम्यूनिष्ट (मार्क्सिस्ट) वाले भाई तरह-तरह की बातें कहते हैं—सेन्टर हम को दबाना चाहता है हमारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर के हमारा शेअर हम को नहीं देना चाहता है। मैं पूछता हूं। अगर सेन्टर आप को आपका शेअर नहीं देता तो आज जो डवेलपमेन्टल एक्टिविटीज वेस्ट बंगाल में या दूसरे राज्यों में जो विरोधी दलों द्वारा गवर्न्ड स्टेट्स हैं, कैसे चल रही हैं। अगर सारे कार्यक्रमों में भारत सरकार उन की मदद नहीं करती तो उन की एक्टिविटीज कैसे चल सकती थीं? जितनी योजनायें बनी हैं, उन के आधार पर यह कह सकते हैं कि इन योजनाओं के जरिये रीजनल इम्बेलेंस बढ़ हैं और इस की शिकायत हम को भी है, क्योंकि हमारी स्टेट बैंकवर्ड है, हमारी स्टेट के साथ इन्साफ नहीं किया गया, हम को जितना शेअर डवेलपमेंन्ट के लिए, इण्डस्ट्रीज के लिये, मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला। लेकिन जो डेवेलप्ड स्टेट्स हैं, वैसे आप की स्टेट है अगर वह भी इस तरह की बात करे तो यह कहां तक मुनासिब बात है। जब कि वास्तविकता यह है कि जो बैंकवर्ड स्टेट्स है उन को पूरा शेअर नहीं मिल रहा है। ये जो डवेलप्ड स्टेट्स हैं ये आज से डवेलप्ड नहीं है, ब्रिटिश सरकार के जमाने से आगे हैं और इण्डिपेण्डेंस के आने के बाद भी उन का ज्यादा विकास हुआ, उन के यहां ज्यादा उद्योग धन्धे लगे, लेकिन उस के बावजूद भी वे आज रीजनल इम्बैलेंस की बात करती हैं, रीजनल इम्बेलेंस के नाम पर ज्यादा से ज्यादा शेअर लेने की कोशिश करती हैं और जो. पिछड़ी स्टेट्स हैं उन को बराबर दबाने की कोशिश है। यह अच्छी भावना नहीं है। उन्होंने यूनिटी, फ्रेटर्निटी और दूसरी तरह की नजीरें दी हैं और कहा है कि इन के आधार पर हम देश को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसी भावना नजर नहीं आती है। हमें पिछड़े क्षेत्रों को आगे लाने का प्रयास करना चाहिए।

मेरे कुछ साथियों ने सरकारिया कमीशन उल्लेख किया या कुछ अन्य कमीशनों का उल्लेख किया जो मुकर्रिर किये गये हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इस तरह के कमीशन पहले भी मुकर्रिर हुए हैं सेन्टर-स्टेट रिलेशन्ज कैसे हों, उन के रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए ये सारी चीजें समय समय पर भारत सरकार करती रही है और अब जो कमीशन मुकर्रिर हुए हैं उन के पीछे भी यही भावना है कि लोगों के मन में जो रीजनल इम्बैलेंस की भावना है, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की भावना है और जो यह कहते आ रहे हैं कि हम को हमारा शेअर नहीं मिल रहा है—उस के बारे में पूरे तरीके से छानबीन करके सारी बातें सामने आ जायें ताकि मालूम हो जाय कि भारत सरकार ने किस तरीके से राज्यों के साथ इन्साफ किया है और आगे किस तरह से काम किया जाय ताकि सब का समान रूप से विकास हो सके। आज वास्तविकता यह है कि कुछ स्टेट्स तो बहुत ज्यादा विकसित हैं, भारत सरकार ने उन पर करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन के लिये एक पैसा भी भारत सरकार ने खर्च नहीं किया है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिन के लिये 30 परसेन्ट तक खर्च किया है लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे राजस्थान जिस को सिर्फ एक परसेन्ट देना चाहते हैं। इस तरह से उन का अन्तर नहीं मिट सकता। इस अन्तर को मिटाने के लिये कोई न कोई निश्चित व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे हमारे लोगों को भी कुछ सन्तोष हो कि अब भारत सरकार की निगाह हमारी तरफ भी है, हमारे लिये भी वह कुछ करना चाहती है। मेरा अनुरोध है हमें इन

मामलों पर गम्भीरता से विचार कर के निर्णय लेना चाहिये। जिससे जो पिछड़ी हुई स्टेट्स हैं वे भी आगे बढ़ सकें।

इन शब्दों के साथ मै चारों बिलों का समर्थन करता हूं।

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, पूर्व-वक्ताओं के भाषणों को मैं ध्यान से सुन रहा था। व्यास जी राजस्थान के वयोवृद्ध नेता हैं। उन्होंने भी वर्तमान आर्थिक ढांचे में जो संसाधनों का विभाजन हो रहा है, उसके बारे में सन्तोष जाहिर नहीं किया। आखिर, किसको सन्तोष है? इसका कारण यह कि विभाजन का कोई रेशनल आधार नहीं है। जैसे एडहाकिज्म पर निर्भर किसी ही स्टेट को कुछ दे दिया, दूसरे को उससे अधिक दे दिया और तीसरे को उससे कुछ कम दे दिया। इससे राज्यों में बेमतलब की ईर्ष्या होती है और एक दूसरे राज्यों के बीच में झगड़ा खड़ा हो जाता है। पंजाब और हरियाणा के झगड़े का आपको पता है। इसका कारण यह है कि आर्थिक संसाधनों का विभाजन उचित रीति से नहीं हुआ है। अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना आज से करें तो हम पायेंगे कि राज्यों के जो आय के श्रोत थे, वे केन्द्र द्वारा दी गई सहायता की तुलना में कहीं अधिक थे। किंतु, आज उनका स्रोत केंद्र द्वारा दी गई राशि की तुलना में नगणय है। उनके सामने यह समस्या रहती है कि वे अपना आर्थिक स्रोत कहां से ढूंढे। ऐसी परिस्थिति में क्षेत्रीय विषमता पैदा होगी। जिस राज्य की आमदनी अधिक होती है, उसका सरकार में अधिक बोलबाला रहता है और वह केन्द्र सरकार से अपने लिए अधिक हिस्सा आवंटित कराने में सफल हो जाता है। जिन राज्यों के लोग मुखर नहीं हैं और उनका समुचित विकास नहीं हुआ है तो स्वाभाविक है कि केन्द्र से अधिक राशि न मिलने पर क्षेत्र का विकास कम होगा। जिनको केन्द्र से अधिक धन मिलेगा, उन क्षेत्रों का अधिक विकास होगा। परिणाम यह होगा कि जो पिछड़े हुए हैं, वे पिछड़ते चले जायेंगे और जो विकसित हैं उनका अधिक विकास होता चला जायेगा। जब विकास में असंतुलन होगा तो एक राज्य के लोग सम्पन्न हो जायेंगे और दूसरे राज्य के विपन्न हो जायेंगे। इसका एक हो परिणाम निकलेगा और वह होगा, राष्ट्र का बिखराव। यही बिखराव आज पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंजाब, असम, मिजोरम, और नागालैण्ड की समस्या क्यों हैं? सही कारणों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि इन राज्यों के विकास की गति धीमी रही है। इसके लिए वे अपने विकास हेतु केन्द्र से अधिक संसाधन की आवश्यकता महसूस करते हैं जो कि केन्द्र से उन्हें आवटित नहीं हो पाता। इस पर काबू पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन राज्यों की कठिनाइयों की ओर समुचित ध्यान दें और यह तभी हो सकता है जब हम उन्हें आर्थिक रूप से केन्द्र के अधीन ही नहीं बांधे रहे।

सभापति जी, जब हम आर्थिक रूप से सशक्त केन्द्र चाहते हैं तो धन का वितरण एक जगह से होता है। स्वाभाविक है कि जो स्थान केन्द्र के नजदीक होंगे, उनकी ओर केन्द्र का, ध्यान अधिक जाएगा और जो स्थान केन्द्र से दूर होंगे, जहां आवागमन के साधन भी ठीक नहीं होंगे, उन स्थानों की ओर ध्यान कम जाएगा। इसी का परिणाम है कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी हमारे गांवों का विकास नहीं हो पाया है। डा० लोहिया ने समूचे देश के विकास की कल्पना की थी समूचे देश की उन्नति के लिए आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो, केन्द्र राज्य, जिले और गांव स्तर तक उसका विकेन्द्रीयकरण हो। अपने अपने क्षेत्र में सभी स्वतंत्र रहें, कोई सरकार दूसरी सरकार के सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण न करे परन्तु आज क्या हो रहा है। ग्राम पंचायतें बहुत से राज्यों में कायम हैं, परन्तु उनका अधिकार क्षेत्र विशुद्ध रूप से जिला प्रशासन के अधीन है। जिला प्रशा-

सन राज्य की एक इकाई है। राज्य के प्रशासन के समक्ष वह किसी मामले में स्वतंत्र नहीं है। हर जिले को वही करना होता है जो राज्य का प्रशासन चाहता है। जैसा आप जानते हैं सभी राज्यों में और केन्द्र में जनता की चुनी हुई सरकारें विद्यमान हैं, फिर भी उन राज्य सरकारों को केंद्र की ओर मुखापेक्षी होकर रहना पड़ता है, आर्थिक रूप से वे केंद्र पर आश्रित रहती हैं। इसी की वजह से हमारे देश में बिखराव की स्थिति पैदा होती है। मेरा सुझाव है कि सभी राज्यों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके आय के स्रोतों को सीमित न किया जाए। यदि उनके अधिकार क्षेत्र में केंद्र कर वसूल करने की कोई जिम्मेदारी ले लेता है तो कम से कम उसका एक रैशनल आधार होना आवश्यक है ताकि उसका उचित वितरण हो सके। राज्यों की जनसंख्या को उसका एक आधार बनाया जा सकता है, राज्य के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी को उसका आधार बनाया जा सकता है। उस राज्य क आकार को उसका आधार बनाया जा सकता है। यदि राज्य की जनसंख्या अधिक हो तथा धन का आवंटन कम हो तो स्वाभाविक है कि उसको जो धनराशि मिलेगी वह राज्य के विकास के लिए पर्याप्त नहीं होगी और प्रतिव्यक्ति आय में बढोत्तरी नहीं होगी। हमारा बिहार एक ऐसा ही राज्य है, जहां प्राकृतिक खनिज पदार्थों का भण्डार है परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी वहां के विकास के लिये जितना उचित मात्रा में धन का आवंटन होना चाहिए, वह नहीं हुआ। शुरू से ही उसके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया आप देखिए, वहां कोयला, अभ्रक इत्यादि की बहुत सी खानें विद्यमान हैं, लेकिन इन खानों को जो कम्पनियां चलाती हैं, उनके मुख्यालय दूसरे राज्यों में हैं, किसी का भी हैडक्वार्टर बिहार में नहीं है। किसी का मुख्यालय कलकत्ता में है तो किसी का बम्बई में और किसी का दिल्ली में। उसका परिणाम यह होता है कि खनिज पदार्थों से बिहार राज्य को जो आमदनी करों के रूप में होनी चाहिए, वह पैसा बिहार, महाराष्ट्र या दिल्ली राज्य को चला जाता है और बिहार का खाता नगण्य ही रहता है लेकिन यहां इस आधार पर पैसे का आवंटन किया जाता है कि बंगाल की आमदनी इतनी हुई, महाराष्ट्र की आमदनी इतनी हुई इसीलिए धन के आवंटन में उनका हिस्सा अधिक रहना चाहिये, भले ही वह आमदनी किसी दूसरे राज्य या बिहार को मिलने वाली आमदनी कम करके हुई। और बिहार का हिस्सा तो कम ही होगा क्योंकि वहां की आमदनी कम हुई। हमारे यहां खनिज, कारखाने, और मुख्यालय दूसरी जगह होने के कारण आमदनी हमारी कम हो गई। इसलिए आवश्यक है जहां कारखाने हों खानें हों उस राज्य में उस कंपनी का मुख्यालय भी हो तभी उस राज्य को आमदनी गढ़ सकती है।

एक और बात है राज्य और केंद्र के कर्मचारियों के वेतन मानों में अन्तर है। केन्द्रीय कर्मचारियों को वेतन ज्यादा और राज्य कर्मचारियों को कम। आखिर इसमें तुक क्या है ? जो राज्य जितना अधिक अविकसित है उसके कर्मचारियों का वेतन उसी अनुरूप कम है। यह किस प्रकार से उचित है ?

15.21 hrs.

[SHRI F.H. MOHSIM *in the Chair.*]

हमारे पूर्ववक्ताओं ने ओवर ड्राफ्ट की चर्चा की। जब हम देखते हैं कि राज्यों के अपने स्वतंत्र आय स्रोत नहीं हैं तो विकास कार्यों पर खर्च करने के लिये कहां से धन लायें ? उनको ओवर ड्राफ्ट ही लेना पड़ता है। फिर आपका योजनाबद्ध विकास कहां हुआ ? यह किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। और इस ओवर ड्राफ्ट की वजह से केंद्र राज्यों पर आर्थिक रूप से शासन करता है। माननीय सत्यसाधन चक्रवर्ती ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार पर केंद्र का दबाव पड़ता रहा है। कोई तो रास्ता ढूंढना चाहिए जो उचित हो और राज्य का स्वतंत्र आय स्रोत हो। हमारे बिहार में ऐसा नहीं है।

हमारे बिहार में जनता प्रशासन में शराब बन्दी लागू की गई थी। परन्तु वर्तमान सरकार ने 1980 में आते ही शराब बन्दी को हटा लिया यह कह कर कि राज्य की आय बहुत कम हो गई है, और शराब बन्दी से कोई फायदा नहीं है। राज्य के विकास के लिये यह आमदनी आवश्यक है, और अभी जब वहां मंत्री मंडल बदला तो 1100 से लेकर 1400 तक शराब की नई दुकानों के लाइसेंस दिये गये। पहले कुछ बन्धन रखे गये थे कि शिक्षण संस्थाओं और मन्दिरों के नजदीक शराब की दुकानें नहीं होंगी, परन्तु अब यह सब बन्धन हटा लिये हैं। तो क्या इसी प्रकार से राज्यों की आय के स्रोतों को आप बढ़ायेंगे ? तब तो यह भी उचित होगा कि चोर, उचक्कों और डाकुओं के लिये भी इलाके निर्धारित कर दें और उसको ठेके पर उठा दें कि यहां यह चोर चोरी कर सकते हैं। वहां वह ग्रुप डाके डाल सकता है। इस तरह से राज्यों का विकास होगा ?

सभापति महोदय : कर्नाटक में आपकी गवर्नमेंट है, वहां शराबबन्दी क्यों नहीं की गई?

प्रो० अजित कुमार मेहता : बिहार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि वहां पर शराब-बन्दी लागू की गई थी और 1980 में उसको समाप्त कर दिया गया। जहां यह स्कीम लागू ही नहीं की गई, वहां की बात अलग है। मैं वहां का उदाहरण दे रहा हूं जहां शराबबन्दी लागू की जा चुकी और उसके बाद यह कहकर बन्द कर दी गई कि हमारे पास आय का स्रोत कम हो गया है, खास कार्यों के लिए उचित धन नहीं मिल रहा है इसलिये इसको फिर चालू किया जा रहा है। यह विशेष चिन्ता का विषय है।

मैं वित्त मन्त्री से मांग करूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के आय स्रोतों पर अपना शिकंजा अधिक न बढ़ायें, उसको और उदार बनायें।

सभी राज्यों में व्यापारी वर्ग और उपभोक्ताओं की ओर से यह मांग की जाती रही है कि बिक्री-कर हटाया जाये लेकिन राज्य के सामने यह समस्या है कि अगर वह बिक्री-कर समाप्त कर दे तो उनके पास आय का स्रोत कहां है, इसीलिये बिक्री-कर की समाप्ति नहीं हो रही है, जबकि उसका इतना विरोध हो रहा है।

अगर आप ध्यान दें, तो चाहे कोई भी पार्टी हो जब तक वह विपक्ष में रहती है तब तक वह बिक्री-कर की समाप्ति की मांग करती है, अपने चुनाव-घोषणा-पत्र में भी इसे रखती है कि हम प्रशासन में आते ही बिक्री-कर समाप्त कर देंगे। अगर वह अपने घोषणा-पत्र में भी नहीं देती तो इस बात का आश्वासन देती है, लेकिन जब वह पार्टी सत्ता में चली जाती है और अपने संसाधनों को देखती है तो उस समय से उसका विरोध शुरू हो जाता है। हमें याद है, जनता पार्टी ने भी आश्वासन दिया था लेकिन उसके बावजूद भी जिन-जिन राज्यों में जनता पार्टी की सरकार कायम हुई, वहां उन्होंने भी बिक्रीकर की समाप्ति नहीं की। वही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है। इसका कारण यह है कि बिक्री-कर की समाप्ति के बाद राज्य के पास आय का स्रोत कहां रह जाता है। जो भी स्रोत हैं, वह गणना में नगण्य हैं। इसलिए आप बिक्री-कर का विकल्प सोचें जिससे राज्यों के आय के स्रोत कम न हों और लोगों पर अनावश्यक रूप से पड़ने वाला भार कम हो जाये।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बोलने का समय दिया। न इस बिल का विरोध करूंगा और न समर्थन करूंगा। विरोध का इसलिये कोई अर्थ नहीं है कि आप इस बिल को पास तो करा ही लेंगे।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज (डिस्ट्रिब्यूशन) एक्ट 1977, दी एडीशनल ड्यूटीज आफ एक्साइज (गुड्ज आफ स्पेशल इम्पा-

टॅन्स) एक्ट 1959, दी यूनियन ड्यूटीज आफ एक्साइज (इलैक्ट्रिसिटी) डिस्ट्रब्यूशन एक्ट, 1980 और एस्टेट ड्यूटी (डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट, 1962 में संशोधन करने के लिये जो 4 बिल यहां रखे गये हैं, उस पर यहां बहस चल रही है। इन बिलों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर यहां ज्यादा बहस की गुंजाइश है। क्योंकि इस बारे में सातवें फाइनेन्स कमीशन ने जो सिफारिशात की थीं और आठवें फाइनेन्स कमीशन ने इसी नवम्बर में जो अपनी इंटेरियम रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो ड्यूटीज लैवी की जा रही हैं, वह बदस्तूर रखी जायें जब तक कि आठवें फाइनेन्स कमीशन की पूरी रिपोर्ट इस हाउस के सामने न लायी जाये, प्रो० चक्रवर्ती ने फरमाया कि देश के रीसोर्सिज में से स्टेट्स को सेंटर से जो शेयर मिलता है, वह बहुत कम है और वह उससे सैटिस्फाइड नहीं हैं। उन्होंने सेंटर-स्टेट रिलेशन्ज का भी मसला उठाया। में कहना चाहता हूं कि इस बारे में सरकारिया कमीशन बैठा हुआ है, इसलिए हमको इस वक्त उस मामले में नहीं जाना चाहिए।

जहां तक रिसोर्सिज का सवाल है, मैं समझता हूं कि जब तक सेंटर मजबूत नहीं होगा, तब तक स्टेट्स मजबूत नहीं हो सकतीं। स्टेट्स ने एग्री किया है कि शुगर, टोबैको, काटन, फैब्रिक्स, वूलन फैब्रिक्स और मैन-मेड फैब्रिक्स पर स्टेट सेल्ज टैक्स न लगाया जाए और उन सब पर यूनिफार्मली एक्साइस ड्यूटी लगाई जाए। मेरा ख्याल है कि सब स्टेट्स में दूसरे आइटम्ज पर से भी सेल्ज टैक्स को ऐबालिश करना चाहिए, ताकि सारे देश में यूनिफार्म टैक्सेशन हो। आज हालत यह है कि किसी स्टेट में टैक्सेशन ज्यादा है और किसी में कम, जिसकी वजह से प्राइसिज में फर्क होता है और उसकी बिना पर स्मगलिंग होता है।

मैं आपके सामने अपनी स्टेट की मिसाल रखता हूं। हमारा पहाड़ी इलाका है। मेरी कांस्टीट्युएन्सी, लेह और कारगिल, बारामूला, डोडा और पुंछ वगैरह इलाकों के लिए मैन मार्केट श्रीनगर या जम्मू शहर हैं। जब हमारे यहां के छोटे दुकानदार वहां पर बड़े दुकानदारों के पास जाते हैं, तो उनके खरीदे हुए माल पर सेल्ज टैक्स लेवी किया जाता है। अगर दस परसेंट सेल्ज टैक्स हो, तो 100 रुपए के माल की वैल्यु 110 रुपए बन जाती है। बाद में जब छोटे दुकानदार टाउन्ज में उस माल को बेचते हैं, तो वे भी दस परसेंट सेल्ज टैक्स लेते हैं, जिससे 110 रुपए के माल की कीमत 121 रुपए हो जाती है। दस परसेंट उस पर पहले ही चार्ज किया होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेन्ट्रल लेवल पर एक्साइज ड्यूटी यूनिफार्मली ली जाए और सेल्सटैक्स को सारे देश में से हटाया जाए।

इस तरह से इनकम टैक्स के बारे में कहा गया। प्रो० चक्रवर्ती साहब ने कहा है कि 85% इनकम टैक्स स्टेट सैक्टर को जाता है। मुझे पता नहीं है कि यह बात सही है या नहीं। यह सही बात है कि इनकम टैक्स होना चाहिए और उसको इनफोर्स करना चाहिए। जम्मू-काश्मीर में सिर्फ टैक्स उन्हीं से वसूल किया जाता है, जिनका स्टेट के बाहर से बिजनेस कनसर्न हैं या स्टेट से बाहर से आये हुए ट्रेडर्ज हैं। लेकिन जितने भी लोकल ट्रेडर्स हैं, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि वे टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, या जिस कद्र टैक्स अदा करते हैं आप को मालूम है। मैक्सिमम ब्लैक मनी काश्मीर वैली में हैं। उसको निकालने की जरूरत है। इस ओर आपको कदम उठाना चाहिए, ताकि जितना अधिक से अधिक पैसा आएगा, उसका 85% जम्मू-काश्मीर को वापिस हो जाएगा। क्योंकि यह पैसा तो सेंटर ने तो रखना नहीं है। आज जम्मू और काश्मीर का हिस्सा जीरो दशमलव कुछ ही है।

जहां तक रिसोर्सेज का सवाल है, जो टैक्स वसूल नहीं करता है, इस वजह से सेंटर का उसका शेयर है, वह भी कम हो जाता है।

लिहाजा जो वहां पर ब्लैक मार्केटियर्स हैं, होर-डर्स हैं, उनसे टैक्स सख्ती से वसूल करने की जरूरत है । अभी पिछली दफा ही जो टीम सैन्टर से वहां गई थी उन लोगों की वहां के गुण्डों के जरिये पिटाई की गई । और उन लोगों के दांत निकाल कर फेंक दिए । हमारे प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जो उस वक्त सांसद थे इन गुण्डों को लीड कर रहे थे । यह एक हकीकत है ।

प्रो० मधु दंडवते : गोल्ड दांत है ।

श्री पी. नामग्याल : आप कुछ भी कहिए, जो हकीकत है, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं । इस लिए जो टैक्सेशन का सवाल है, उस पर आपको गौर करने की जरूरत है ।

ओवर ड्राफ्ट के बारे में भी यहां पर बहुत सी बातें कही गई हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे रूलिंग पार्टी की सरकार हो या अपोजीशन की सरकार हो ओवर ड्राफ्ट आपको स्ट्रीक्टली बन्द करना चाहिए । इस वजह से मुल्क की माली हालत आफ बैलेंस (off balance) हो जाता है । यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जहां पर आपोजीशन की सरकारें हैं, वे तो खुल्लम-खुल्ला अंगूठा दिखाकर खा जाते हैं । लेकिन जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर तो पार्टी लेवर पर भी कान खींचा जा सकता है और सरकारी लेवर पर भी बात की जा सकती है । वे लोग मेरी दृष्टि में ज्यादा डिसीप्लीन रहते हैं । अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल के साथ ज्यादा सख्ती की जा रही है, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है ।

रिसोर्सेज के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि सैन्टर को मजबूत होना चाहिए आप कहते हैं कि उस ढंग से होना चाहिए, जिस स्टेट से ज्यादा पैसा मिलता है, उनको ज्यादा मिलना चाहिए । लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूं । और जो अगर ऐसा हुआ तो डैफिसिट स्टेट हैं, जैसे जम्मू और काश्मीर एक डैफिसिट स्टेट हैं वे तो बिल्कुल मारे जाएगे । लिहाजा सेन्टर को मजबूत होना जरुरी है और जितना टैक्सेशन आता है उस को पूल (pool) कर के जो आप का सिस्टम है उस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिये ।

मेरे एक साथी ने कहा कि सरकार की इस पालिसी की वजह से सिसेशनिस्ट फोर्सेज सिर उठा रही हैं । मैं उन की इस बात से एग्री नहीं करता हूं । ...

एक माननीय सदस्य : असम में क्या हो रहा है ?

श्री पी० नामग्याल : मैं पंजाब के लिये कहता हूं—वह एक सरप्लस स्टेट है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अब तो वह भी नान-सरप्लस हो गई है ।

श्री पी० नामग्याल : लेकिन आज भी वहां की जो इकानामिक कण्डीशन है वह दूसरे स्टेट्स के मुकाबले अच्छी है, लेकिन फिर भी वहां सिसेशनिस्ट-फोर्सेजि हैं — इस की क्या वजह है ? मेरा यह कहना है कि जो डेफिसिट स्टेट्स हैं, वहां गरीबी की वजह से सिसेशनिस्ट मूवमेन्ट शुरू होती है– मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, बल्कि इस की कुछ दूसरी वजूहात हैं ।

एक सलाह यह दी गई कि नेशनल डवेलप-मेन्ट कान्सिल को सही मायनों में काम करने वाली कान्सिल बनाना चाहिये । लेकिन उस में तो तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स मेम्बर हैं । इसलिये आप की यह आग्रुमेन्ट मेरी समझ में नहीं आती है । उन की जितनी पावर है उस को कम करो या ज्यादा करो यह आप के सोचने की बात है । प्रो० मेहता कहते हैं कि नेशनल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में एडहाकिज्म है– मैं इस बात को नहीं मानता । उन्होंने प्राहिविशन के बारे में भी कहा—जनता रूल के जमाने में बहुत जगहों पर प्राहिविशन को एन्फोर्स किया गया था । लेकिन उस का नतीजा क्या निकला—वह हम सब के सामने है । नतीजा यह निकला कि इल्लिसिट डिस्टिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया जिस की वजह से हजारों की तादाद में मौतें हुई । हालांकि मैं प्राहिविशन के खिलाफ नहीं हूं लेकिन इस का नतीजा पाजिटिव नहीं निकला । प्रोफेसर साहब इस बात को प्लीड करते रहे कि प्राहिबिशन होना चाहिये, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन की सरकार कर्नाटक में है वह वहां इस को एन्फोर्स क्यों नहीं करते हैं ? आप वहां एन्फोर्स करें तो हम भी देखें कि आप किस तरह से काम करते हैं ? और उस के बाद यहां ऐसी प्रपोजल रखें ।

अब जहां तक इन बिलों का ताल्लुक है—मैं समझता हूं यह राइट-स्टेप-इन-दि -राइट-डायरेक्शन है । आप जो अमेण्डमेन्ट्स लाये हैं मैं उन को सपोर्ट करता हूं ।

شری پی۔نام گیال (لداخ): سبھاپتی مہودے۔ یونین ڈیوٹیز آف ایکسائز (ڈسٹری بیوشن) ایکٹ ۱۹۷۹ - دی ایڈیشنل ڈیوٹیز آف ایکسائز (گڈس آف اسپیشل امپارٹینس) ایکٹ ۱۹۵۷ - دی یونین ڈیوٹیز آف ایکسائز (الیکٹریسٹی) ڈسٹری بیوشن ایکٹ ۱۹۸۰ - اور اسٹیٹ ڈیوٹی (ڈسٹری بیوشن) ایکٹ ۱۹۶۲ میں سنشودھن کرنے کے لئے جو ۴ بل یہاں رکھے گئے ہیں اس پر یہاں بحث چل رہی ہے۔ ان بلوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس پر زیادہ بحث کی گنجائش ہو کیونکہ اس بارے میں ساتویں فائننس کمیشن نے نے جو سفارشات کی تھیں اور آٹھویں فائننس کمیشن نے اس نومبر میں جو اپنی انٹیریم رپورٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال جو ڈیوٹیز لیوی کی جا رہی ہیں وہ بدستور رکھی جائیں جب تک کہ آٹھویں فائننس کمیشن کی پوری رپورٹ اس ہاؤس کے سامنے نہ لائی جائے۔ پروفیسر چکرورتی اور پروفیسر مہتا نے کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ میں ان پر کچھ ٹپٹرین کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر چکرورتی نے فرمایا کہ دیش کے ریسورسز میں اسٹیٹس کو سینٹر سے جو شیئر ملتا ہے وہ بہت کم ہے اور وہ اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں۔ انہوں نے سینٹر اسٹیٹ ریلیشن کا بھی مسئلہ اٹھایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں سرکاریہ کمیشن بیٹھا ہوا ہے اسی لئے ہم کو اس وقت اس معاملے میں نہیں جانا چاہیئے۔

جہاں تک ریسورسز کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک سینٹر مضبوط نہیں ہوگا تب تک اسٹیٹس مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اسٹیٹس نے ایگری کیا ہے کہ شوگر، ٹوبیکو، کاٹن فیبرکس، وولن فیبرکس اور مین میڈ فیبرکس پر اسٹیٹ سیلز ٹیکس نہ لگایا جائے اور ان سب پر یونیفارملی ایکسائز ڈیوٹی لگائی جائے۔ میرا خیال ہے کہ سب اسٹیٹس میں دوسرے آئٹمز پر سے بھی سیلز ٹیکس کو ایبالش کرنا چاہیئے تاکہ سارے دیش میں یونیفارم ٹیکسیشن ہو۔ آج حالت یہ ہے کہ کسی اسٹیٹ میں ٹیکسیشن زیادہ ہے اور کسی میں کم جس کی وجہ سے پرائزز میں فرق ہوتا ہے اور اس کی بنا پر اسمگلنگ ہوتا ہے۔

میں آپ کے سامنے اپنی اسٹیٹ کی مثال رکھتا ہوں۔ ہمارا پہاڑی علاقہ ہے۔ میرا کانسٹی چیوینسی لیہہ اور کارگل یا رامولہ ڈوڈا اور پونچھ وغیرہ علاقوں کے لئے مین مارکیٹ شری نگر یا جموں شہر ہیں۔ جب ہمارے یہاں کے چھوٹے دوکاندار وہاں پر بڑے دوکانداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے خریدے ہوئے مال پر سیلز ٹیکس لیوی کیا جاتا ہے۔ اگر دس پرسینٹ سیلز ٹیکس ہو تو سو روپے کے مال کی ویلیو ۱۱۰ روپے بن جاتی ہے۔ بعد میں جب چھوٹا دوکاندار ٹاؤنز میں اس مال کو بیچتے ہیں تو وہ بھی دس پرسنٹ سیلز ٹیکس لیتے ہیں جس سے ۱۱۰ روپے کے مال کی قیمت ۱۲۱ روپے ہو جاتی ہے۔ دس پرسینٹ اس پر پہلے ہی چارج کیا ہوتا ہے۔ اس لئے میں نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ سینٹرل لیول پر ایکسائز ڈیوٹی یونیفارملی لی جائے اور سیلز ٹیکس کو سارے دیش میں سے ہٹایا جائے۔

اسی طرح سے انکم ٹیکس کے بارے میں کہا گیا۔ پروفیسر چکرورتی صاحب نے کہا ہے کہ ۸۵ پرسینٹ انکم ٹیکس اسٹیٹ سیکٹر کو جاتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ یہ صحیح بات ہے کہ انکم ٹیکس ہونا چاہیئے اور اس کو اینفورس کرنا چاہیئے۔ جموں کشمیر میں صرف ٹیکس انہیں سے وصول کیا جاتا ہے جن کا اسٹیٹ کے باہر سے بزنس کنسرن ہے یا اسٹیٹ کے باہر سے آئے ہوئے ٹریڈرز ہیں۔ لیکن جتنے بھی لوکل ٹریڈرس ہیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ یا جس قدر ٹیکس ادا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے میکسیمم بلیک منی کشمیر ویلی میں ہے۔ اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے آپ کو قدم اٹھانا چاہیئے تاکہ جتنا ادھیک سے ادھیک پیسہ آئے گا اس کا ۸۵ پرسینٹ جموں کشمیر کو واپس ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ پیسہ تو سینٹر کو تو رکھنا نہیں ہے۔ آج جموں کشمیر کا حصہ زیرو دشملو کچھ ہی ہے۔

جہاں تک ریسورسز کا سوال ہے جو ٹیکس وصول نہیں کرتا ہے اس وجہ سے جو سینٹر کا اس کا شیئر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو وہاں پر بلیک مارکیٹیئرس ہیں۔ ہورڈرس ہیں ان سے ٹیکس سختی سے وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی پہلی ہی دفعہ جو ٹیم سینٹر سے وہاں گئی تھی ان لوگوں کی وہاں کے غنڈوں کے ذریعے پٹائی کی گئی اور ان لوگوں کے دانت نکال کر پھینک دیئے۔ ہمارے پریزینٹ چیف منسٹر جو اس وقت سانسد تھے ان غنڈوں کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔

پروفیسر مدھو دنڈاوتے: گولڈ دانت ہیں۔

شری پی۔نام گیال: آپ کچھ بھی کہیئے۔ جو حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس لئے جو ٹیکسیشن کا سوال ہے اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔

اوور ڈرافٹ کے بارے میں بھی یہاں پر بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے رولنگ پارٹی کے

سرکار ہو یا اپوزیشن کی سرکار ہو اوور ڈرافٹ آپ کو اسٹرکٹلی بند کرنا چاہیئے۔ اس وجہ سے ملک کی مالی حالت آف بیلینس ہو جاتی ہے۔ یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اپوزیشن کی سرکار رہی ہیں وہ تو کھلم کھلا انگوٹھا دکھا کر کھا جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر تو پارٹی لیول پر بھی کان کھینچا جا سکتا ہے۔ اور سرکاری لیول پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ میری درشٹی میں زیادہ ڈسپلین رہتے ہیں۔ ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ویسٹ بنگال کے ساتھ زیادہ سختی کی جا رہی ہے لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔

ریسورسز کے لئے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سینٹر کو مضبوط ہونا چاہیئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈھنگ سے ہونا چاہیئے جس اسٹیٹ سے زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ اس کو زیادہ ملنا چاہیئے۔ لیکن میں اس کے فیور میں نہیں ہوں اور اگر ایسا ہوا تو جو۔۔۔ ڈیفیسٹ اسٹیٹ ہیں جیسے جموں اور کشمیر ایک ڈیفیسٹ اسٹیٹ ہے وہ تو بالکل مارے جائیں گے۔

لہٰذا سینٹر کو مضبوط ہونا ضروری ہے اور جتنا ٹیکسیشن آتا ہے اس کو پول (Pool) کرکے جو آپ کا سسٹم ہے اس کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیئے۔

میرے ایک ساتھی نے کہا کہ سرکار کی اس پالیسی کی وجہ سے سیشنسٹ فورسز سر اٹھا رہی ہیں۔ میں ان کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں۔۔۔۔

ایک مانیئے سدسے: اس میں کیا ہو رہا ہے۔

شری پی۔ نام گیال: میں پنجاب کے لئے کہتا ہوں۔ وہ ایک سرپلس اسٹیٹ ہے۔

پروفیسر مدھو دنڈاوتے (راجاپور): اب تو وہ بھی نان سرپلس ہو گئی ہے۔

شری پی۔ نام گیال: لیکن آج بھی وہاں کی جو اکانومک کنڈیشن ہے وہ دوسرے اسٹیٹس کے مقابلے اچھی ہے لیکن پھر بھی وہاں غریبی کی وجہ سے سیشنسٹ موومینٹ شروع ہوتی ہے۔ میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کی کچھ دوسری وجوہات ہیں۔

ایک صلاح یہ دی گئی کہ نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کو صحیح معنوں میں کام کرنے والی کونسل بنانا چاہیئے۔ لیکن اس میں تو تمام اسٹیٹس کے چیف منسٹرس ممبر ہیں۔ اس لئے آپ کی یہ آرگومینٹ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ان کی جتنی پاور ہے اس کو کم کر دو یا زیادہ کر دو یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ پروفیسر مہتا کہتے ہیں کہ نیشنل ریسورسز کے ڈسٹری بیوشن میں ایڈہاکزم ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ انہوں نے پراہیبیشن کے بارے میں بھی کہا۔ جنتا راج کے زمانے میں بہت جگہوں پر پراہیبیشن کو اینفورس کیا گیا تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ الیسٹ ڈسٹیلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں موتیں ہوئیں۔ حالانکہ میں پراہیبیشن کے خلاف نہیں ہوں لیکن اس کا نتیجہ پازیٹیو نکلا۔ پروفیسر صاحب اس بات کو پلیڈ کرتے رہے کہ پراہیبیشن ہونا چاہیئے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی سرکار کرناٹک میں ہے۔ وہ وہاں اس کو اینفورس کیوں نہیں کرتے ہیں۔ آپ وہاں اینفورس کریں تو ہم بھی دیکھیں کہ آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ایسی پرپوزل رکھیں۔

اب جہاں تک ان بلوں کا تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ رائٹ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے۔ آپ جو امینڈمینٹس لائے ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں۔

श्री टी०एस० नेगी (टिहरी-गढ़वाल) : चेअरमैन साहब, चार उत्पादन शुल्क संशोधन विधेयक सदन के समक्ष हैं। इन के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है उस में ओवर-ड्राफ्ट पर चर्चा हुई, रिसोर्सेज के बटवारे की चर्चा हुई, एक्साइज ड्यूटी और सेल्ज टैक्स के बारे में सदस्यों ने कहा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की चर्चा भी इस समय आई। मैं तो इस बिचार का हूं-जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा कि सेन्टर मजबूत होना चाहिये। कौन कहता है कि सैन्टर मजबूत न हो, लेकिन अगर स्टेट का दिमाग तो मजबूत हो जाय, लेकिन हाथ-पैर बेकार हो तो उस का कोई लाभ नहीं होगा। स्टेट को तो सेन्टर से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिये ताकि सारा देश मजबूत हो। सेन्टर के पास क्या है? दो-तीन बिभाग हैं, फारेन अफेअर्स, डिफैन्स, कम्युनिकेशन,

बाकी सारे काम स्टेट्स के पास हैं। अगर वे सारे डिपार्टमेन्ट्स मजबूत नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे तो हिन्दुस्तान कैसे मजबूत होगा ?

हिन्दुस्तान तब मजबूत होगा जब स्टेट मजबूत होंगे। केन्द्रीयकरण, इस मुल्क में एक बड़ी भारी बीमारी है, जबकि विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए। मैंने अभी यहां पर सुना कि ओवर-ड्राफ्ट लिया जाता है। मैं समझता हूं, इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है। सब चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। सब निर्माण के कार्य ठप्प हो गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट को जो थोड़े-बहुत काम करने हैं, वह ओवर-ड्राफ्ट न ले तो क्या करे ? क्या यह अपना दिवाला निकाल दे ? उत्तर-प्रदेश के गढ़वाल और अल्मोड़ा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहा विकास का काम ठप्प हुआ पड़ा है। सड़क निर्माण, नहर, बिजली और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूलों की 90 प्रतिशत बिल्डिंग खराब हैं या है ही नहीं। इसी प्रकार अस्पतालों की 70-80 प्रशिक्षत बिल्डिंग खराब हैं या हैं ही नहीं। पंचायत घर भी नहीं हैं। इसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं देती। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ओवर-ड्रफ्ट नहीं ले सकती। वह तो सोच भी नहीं सकती कि इतने बड़े प्रान्त का मैनेजमेंट कैसे हो ? वहां के लोग कहते हैं कि सरकार है ही कहां ? अगर, बंगाल की सरकार ओवर-ड्राफ्ट लेकर लोगों को सुविधा पहुंचाती है तो इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है ? वैसे यहां पर काश्मीर और कर्नाटक की चर्चा भी हुई। वह लोग चाहते है कि हिन्दुस्तान में उनकी ख्याति बढ़े। बिजली-बोर्ड के संबंध में भी यहां चर्चा हुई। पिछले साल इसी सदन में हमने उत्तर-प्रदेश के बिजली बोर्ड के संबंध में दो प्रश्न पूछे थे। हमारी पार्टी के नेता श्री हेमवती नंदन जी ने भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखे थे। लेकिन, आज तक कोई जवाब नहीं मिला। प्रश्न यह था कि पिछले साल की सालाना रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश में 522 सिनेमाघर हैं। उनको दो घण्टे और कुछ मिनट प्रतिदिन बिजली मिलती है जबकि सिनेमाघर 13 घण्टे से अधिक चलते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को 37 घण्टे बिजली मिलती हैं जबकि दिन तो 24 घण्टे का ही होता है। इसका भी कोई जवाब हमें नहीं मिला। यह गोलमाल बिजली डिपार्टमेंट का है गढ़वाल, अल्मोड़ा आर नैनीताल में तो एक पाइन्ट पर बिजली के पैसे लेते हैं और चौबीस घण्टे में चौबीस मिनट भी बिजली नहीं मिलती। जब रात को बिजली की जरूरत होती है तो वह गायब हो जाती है। लोग कहते हैं कि डबल एस्टेबलिशमेंट रखना पड़ता है, केरोसीन ऑयल तथा बिजली। सरकार, फ्लड और एनवायरनमेंट के बारे में काफी खर्च कर कर रही है। हम चाहते हैं कि जंगलों की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए हमने यह उपाय बताया था कि सरकार हर गांव में जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचा दे। बिजली का उपयोग न केवल जलाने के लिए बल्कि कुकिंग आदि के लिए भी हो सकता है। इसकी वजह से जंगल से लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। सरकार तो काम में नहीं बल्कि प्रोपोगंडा में विश्वास रखती है। क्या काम होना चाहिए, उसमें विश्वास नहीं रखती। इस सदन में कोयले और पैट्रोलियम के बारे में अनेक सुझाव आ चुके हैं। और मंहगाई कम हो सके। ये सारी चीजें समझ में आई लेकिन हमारी सरकार बहरी है, सुनतो ही नही है। हम नहीं समझ सकें कि सरकार का रूख किस तरफ है। उसी तरह हमने देखा कि इलैक्ट्रिसिटी वाले काम भी नहीं हो रहे हैं। जहां जल्दी बिजली मिलनी चाहिए, वहां लोगों के द्वारा पैसा जमा करवाये जाने के बावजूद अभी तक बिजली नहीं पहुंचाई गई है या उनको बिजली नहीं मिलती। इस कारण लोगों में हाहाकार है और सारे विकास के काम ठप्प पड़े हैं। जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोनों का यही हाल था। जनता पार्टी की सरकार ने भी एलान किया था

कि हम सेल्स टैक्स को खत्म करेंगे मैं समझता हूं कि अब सेल्स टैक्स खत्म हो जाना चाहिए और सरकार यदि एक्साइज ड्यूटी लगाना चाहे तो लगाये । चाहे केंद्रीय सरकार लगाये या राज्य सरकार लगाये, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्य सरकार को सेल्स टैक्स की वजह से जो आमदनी होती है, वह उसको मिलीत रहनी चाहिए और आगे भी उसी प्रोपोरशन में उसमें बढ़ोत्तरी होती रहे और सभी राज्यों को उसी अनुपात में राजस्व हर साल बढ़ कर मिलता रहे । वह मेरा सुझाव है । ऐसा न हो कि केंद्र तो अपने को मजबूत बनाये और स्टेटों को ऐसे ही छोड़ दे । इस कारण लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय विषमता फैलती है लेकिन क्षेत्रीय विषमता फैलाने की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार पर है । हमने कभी नहीं कहा कि जो पिछड़े इलाके हैं उनमें केंद्रीय सरकार कोई खर्च न करे । बल्कि हम तो चाहते हैं कि जितने बेकवर्ड इलाके हैं, पिछड़े लोग इस मुल्क में हैं सरकार उन को ज्यादा से ज्यादा तरक्की के साधन पहुंचाये, ज्यादा से ज्यादा विकास के काम वहां हों । यहां पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के मामले में सारा सदन, विरोधी दल तथा कांग्रेस के कई लोग भी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उसको लागू नहीं करती । इसके कारण लोगों को आन्दोलन करने के लिए विवश होना पड़ता है । जब स्थान स्थान पर आन्दोलन होंगे, लोग स्थानीय मसलों को लेकर आन्दोलन करेंगे तो उससे देश के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, देश में बिखराव पैदा हो जाएगा और उसकी सारी जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार पर आयेगी । उसके लिए विरोधी दल या कांग्रेस के कुछ लोग उतने जिम्मेदार नहीं हैं । बल्कि ऐसा मालूम पड़ता है कि वे तो एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह हैं जो हाथ खड़े कर देते हैं, परन्तु कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते । सारी पावर तो केंद्रीय सरकार के पास है, वहां से जो डिक्टेशन या आर्डर जाएगा, उसको ही सब करेंगे । हमने यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के सामने भी रखा और फौरेस्टस से सम्बन्धित संशोधन बिल अब आया है उसमें तरमीम की मांग की ताकि वहां के निर्माण के सारे कामों में द्रुत गति से काम हो सके लेकिन वैसा कोई नहीं कर सकता । यहां तक कि केंद्रीय वन मन्त्री भी, जिनके पास वन विभाग है, वे भी कुछ नहीं कर सकते । वह तो सिर्फ एक ही पावर है, जब वहां से कुछ हिलेगा तो सरकार हिलेगी, वरना सारे काम बंद रहेंगे । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार तमाम स्टेटस को एक नजर से देखते हुए, सब को बराबर समझते हुए उनको काफी मजबूत बनाने की दिशा में काम करेगी और उनको ज्यादा से ज्यादा धन दिया जाएगा ताकि वहां का विकास हो सके, सारा हिन्दुस्तान एक बन सके और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर सामाने आये । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

SHRI CHITTA BASU : Sir, the four Bills which are now under consideration primarily relate to the transfer of resources to the States. As my good friend, Shri Satyasadhan Chakraborty, has covered a wide area, he has lightened my burden. As a matter of fact, there is near unanimity, though I would not say unanimity, in the public opinion today that there should be re-structuring of the allocation between the Centre and the States, particularly in relation to the financial transactions or relations. Almost all the opposition parties, irrespective of their political views or certain differences in nuances, have agreed in a conference at Srinagar that there should be review of the Centre-State relations and that there should be more financial powers and a larger measure of autonomy to the States.

Sir, there has been a coustructive suggestion on the way this restructuring should take place. Therefore, as I have mentioned earlier that there has been near unanimity in the public opinion of the country today that the relations between the Centre and States in respect of financial matters should be not only reviewed, but restructured in a

way so that more financial power is given to the States and thereby strengthen the national unity and integration. But for a specific purpose I take up this particular Bill, the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill just to show—I shall not discuss or touch other points which have already been covered—only with the help of this Bill or Act, I want to show you and convince you that there has been a constant erosion into the States' sphere, particularly in respect of resources mobilisation.

Sir, this Act, viz., the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, has got its own history. It is for the House to know the history of the Act, and the history of the Bill is the history as to how States have been deprived of a legitimate sphere of taxation. The Parliament enacted the Central Sales Tax Act in 1956, and it was followed by another Act, that is, the present Act which I have mentioned, viz., The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957. The Act authorised the Parliament to impose certain additional duties of excise on certain specific goods, viz., sugar, tobacco, cotton fabrics etc. And these taxes are to be transferred to the States. I know that the States are not debarred from imposing any sales tax on these items. They are also entitled, but there is one condition, and that condition is that you cannot impose sales tax on these items more than 4 per cent of the price. Here is a limit; 4 per cent limit is imposed. Again, if a particular State imposes the sales tax on these items declared as of special importance, they will be deprived of the transfer. If you impose 4 per cent, then the Centre will not give you anything out of that income. Therefore, no State is interested to have sales tax on those items.

Sir, I would only draw your attention to an observation made in the Memorandum of the West Bengal Government to the Eighth Finance Commission as to how this particular provision has deprived the State Government of West Bengal in the matter of resources mobilisation. I quote :

"The revenue realised by the Government of West Bengal from the 4 per cent tax on goods of special importance is of the order of Rs. 77 crores per annum. Ordinarily, but for the Central intervention in this matter, the revenue would have been of the order of Rs. 134 crores."

Therefore, as I have mentioned earlier, by this device you have made an erosion, you have taken away the legitimate right of the State Governments to step up their revenue earning.

I know that the National Development Council in those years, in 1956, agreed to this scheme. It may be that in those days the compensatory rates were adequate enough to meet the needs of the States. But 25 years have elapsed and the need of the States to increase their resources has increased manifold to meet the growing aspirations of the people of the States to which the State Government is primarily responsible. But there has been no change in the rate of transfer to the States. Therefore, it is a device to deprive the State Governments, whatever might be the political view-whether it is Leftist Government in West Bengal Janata led Government in Karnataka, National Conference in Jammu & Kashmir, Congress (I) Government in Uttar Pradesh or in Bihar. The States have been deprived of a very legitimate sphere of resources earnings. That is my point. Here is not the end of the story. It is also being proposed to keep other additional items under the purview of the Act. The contemplated additions are vanaspati, drugs, medicines, cement, paper, paper board and petroleum products. That means the sphere of taxation is being enhanced. The States will have to depend entirely at the mercy, whims of the Central Government. By this device the States Government will be converted as beggars. The State Governments refuse to be converted as beggars.

According to the calculation of the Government of West Bengal, if these additional commodities are brought under the purview of this Act, then the States will lose about Rs. 119 crores per annum which is about 30% of the total sales tax revenue.

I have heard that many hon. Members are in favour of the recommendations of Tripati Committee. I am opposed to the

acceptance of the Tripati Committee recommendations, because the Sales Tax is the main source of States to fall back upon. If you take away that resource from the State Governments, the State Governments will have no resource to fall back upon.

Many other things have been mentioned so as to gradually reduce transfer of resources from Centre to States. I do not want to go into those aspects. But the main question is that the demand of the people of the States are growing. Resources of the States are not commensurately increasing. Rather, it is being reduced.

Sir, I want to bring to your notice the opinion of the Finance Minister of Tamil Nadu. Very recently, replying to the discussion on the Bill to amend the Central Sales Tax Act in the Legislative Assembly, the Minister said that the sales tax was the only tree left with the States domain and whenever we need shelter from the sun, we go only to that tree. By taking away the right to tax sugar, tobacco and textiles, the Centre deprived Tamil Nadu of an income of Rs. 86 crores. Only last year, if other commodities were also taken into account, the loss would be around Rs. 226 crores. Now, it is the opinion of the Finance Minister of Tamil Nadu. I do not want to mention about the hue of the Government. The State Government of Tamil Nadu has been deprived of a revenue of Rs. 226 crores. How can the Government of Tamil Nadu whatever may be the political colour or hue serve the people of the State ?

MR. CHAIRMAN : Some of the State Governments led by Congress Party are also not in favour of this.

SHRI CHITTA BASU : You are right. How can they be ?

MR. CHAIRMAN : So, no Party question is involved here. It is only the question of resources.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It is the question of survival of the States.

SHRI CHITTA BASU : Sir, Shri Satyasadhan Chakraborty has been raising the question of State deficit. I give you only one figure which will make you understand the predicament of the State irrespective of its political colour. I do not bring in that.

In the year 1981-82, the total tax revenue of the nation was Rs. 22,182 crores of which the States collected from their sources Rs. 7,514 crores. It is 33.9% of the total. Against this, during the same year, the total revenue expenditure of the nation was Rs. 28,069 crores of which the State' share was as small as 59.4%. The result of such situation is that the States constantly face a deficit in their revenue account. This is the point. You can understand, Mr. Satish Agarwal. I do not bring in Rajasthan Government; I do not bring in Punjab Government, I do not bring in anybody. Look, this is the financial position of the States. Sir, the Government is very much against the overdrafts for the States. What do you do ? They go in for deficit financing. What does it mean ?. They print paper in Nasik Security Press. Unfortunately, the State Government has got no Nasik Press. Therefore, they have got no other alternative.

PROF. MADHU DANDAVATE : They have got sick press.

SHRI CHITTA BASU : They have got sick press but that press also does not work. Nor does it walk. It is not to speak of sick or closed or lock-out press. Therefore, your deficit and the States overdraft meaning is the same. The effect is the same. Causation is the same. But you go on only by saying that we are very poor. You borrow money from the International Monetary Fund. You borrow money from the ADB—Asian Development Board. You borrow at the higher rate of interest from the market—foreign market. And the State Governments have got no right even to borrow. You would not allow them to borrow. You would not give them adequate financial assistances. You gradually take away the revenue earning sources and you make them the scapegoats. Is it fair ? Is it ethical or moral for the Finance Minister to accuse the State Governments ?

This Bill has provided a wider opportunity for us to bring before the House the actual state of financial affairs of the States.

Therefore, it is high time that there is a review of the Centre-State relations particularly in relation to financial powers.

On the basis of the interim report of the Eighth Finance Commission the allocation is going to be done. I have got nothing to say against it. It is a fait accompli. But in future, unless these various factors which have been brought before the House are taken note of and appropriate decision taken, I can only say that the unity of the country will be jeopardised. That does not mean that I will be accused that I am one of those who are out to weaken the Centre. We do not want to weaken the Centre. We want a strong Centre. It is only strong States which can make the Centre strong. We want a strong Centre but not an arrogant Centre. We do not want a centre which usurps the rights of the States. We want a Centre whose strength is built upon the spirit of federalism. What we see is that the spirit of federalism is being given a good-bye day in and day out, abandoning the spirit of federalism and just relying on the spirit of unitary system of Government in the administration of finances. They are unnecessarily creating conditions which give rise to the forces of disruption, fissiparous tendencies and other evil forces which are not at all conducive to the preservation of the unity of the country.

I think, for the time being, we have got no alternativebut to accept the formula contained in these four Bills which are the product of the interim report of the Eighth Finance Commission. Again, I would say that they should not wait for the recommendations of the Sarkaria Commission. The term of the Sarkaria Commission has been extended by one year, that is, upto June, 1985.

PROF. MADHU DANDAVATE: That will have to be implemented by the non-Congress Government.

SHRI CHITTA BASU: They should not wait till the recommendations of the Sarkaria Commission are made. Having taken note of the spirit of federalism and the near unanimity on the question of restructuring of the Centre-State relations. I think, the Government would take appropriate action in the matter.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, इन चारों बिलों का मकसद सीमित हैं। 8 वें फाइनेंश कमीशन की इन्टेरिम रिपोर्ट के आधार पर ये चारों बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। मूल प्रश्न मेरी समझ में, जैसा कि सभी सदस्यों ने बतलाया, पूरे देश को, सभी राज्यों को आर्थिक मामलों में आत्म-निर्भर बनाता है और सरकार को ऐसी आर्थिक नीति बनानी है जिससे इन मकसदों को हम हासिल कर सकें। अभी तक जो स्थिति है, आर्थिक साधनों के जितने स्रोत हैं वे ज्यादातर तो केंद्रीय सरकार के हाथ में केंद्रित हैं। एक्साइज ड्यूटी, इन्कम टैक्स या जितने प्रकार के अन्य टैक्स हैं उन में से कुछ हिस्सा राज्यों को जरूर दिया जाता है लेकिन जो मुनासिब हिस्सा उन को मिलना चाहिये उतने की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। इसी लिये राज्यों और केंद्र के बीच में विवाद चल रहा है। मतभेद है, इसको झगडा कहना चाहें तो कह लीजिये कि झगड़ा है। इस का निपटना जरूरी है और उन्हें निपटाने के लिये आपने सरकारिया कमीशन भी बनाया है, क्योंकि इस बात में हम सब एक-मत हैं कि देश की एकता हर कीमत पर रहनी चाहिये। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देश की एकता के नाम पर राज्यों के बीच में बिभेद की नीति बरती जाय या सम्पत्ति वाले लोग ज्यादा सम्पत्तिवान बनते जाय और जो गरीब है वह और ज्यादा गरीब बनता जाय। हमारा यह उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य गरीबी को मिटाना है और इस के लिये पैसे की जरूरत पड़ती है। आप राज्यों से जो धन टैक्स के रूप में वसूलते हैं उसके आंकड़े आप के पास हैं लेकिन बदले में उनकी कितनी मदद करते हैं वे आंकड़े भी आप के पास हैं। मैं तो अपने राज्य के बारे में जरूर जानता हूं। हर सदस्य अपने राज्य के बारे में ज्यादा जानता है कि धन के अभाव में प्राकृतिक विपत्तियों के अवसर पर भी राज्य स्वयं अपने साधनों से उसका मुकाबला करने की स्थिति मे नहीं होते, उन को आप की तरफ हाथ पसारना पड़ता है और इस लिये हाथ पसारना पड़ता हैं कि जो विभिन्न प्रकार के

टैक्स आप राज्यों से वसूलते हैं उन का मुनासिब हिस्सा आप राज्यों को नहीं देते हैं। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का सवाल हो या दूसरे सवाल हों— सब मामलों में यही बात है। अपने विकास के राज्यों के पास पर्याप्त धन नहीं होता है, आप जो धन देते हैं उन का ठीक से सदुपयोग नहीं होता है और जो देते हैं वह भी कम होता है। हमारे यहां संघीय शासन व्यवस्था है जिस का उद्देश्य है कि एक दूसरे से गुथे रहें, मिलकर (रहें) एक राष्ट्र की तरह रहें और इस के लिये जरूरी है कि आप राज्यों को ज्यादा से ज्यादा मदद दें।

आप राज्यों की मदद नहीं करते और राज्य पैसे की कमी के नाम पर शहरों की मदद नहीं करते, न कारपोरेशन की मदद करते हैं, न म्युनिसिपैलिटी की मदद करते हैं और न उद्योग धन्धों की मदद करते हैं, न कृषि के विकास में मदद कर पाते हैं। सब जगह पैसे का अभाव सामने आता है। आप उन की मदद न करें तो और वे दूसरों की मदद न करे तो देश का चहुंमुखी विकास कैसे होगा ?

देश में जो लोक-कल्याणकारी राज्य का नारा दिया जाता है, वह कैसे होगा ? मैं, एक ही सवाल पर जोर डाल रहा हूं और वह यह कि आप जो भी पैसा राज्यों से वसूलें, वह उनको दें। बैंक में जिस प्रतिशत से राशी जमा होती है, क्या राज्यों के उद्योग-धंधों में उसी प्रतिशत के हिसाब से खर्च किया जाता है, नहीं किया जाता ? मैं, बिहार की बात जानता हूं। वहां जितना डिपाजिट बैंकों में होता है, उसका तीस से चालीस प्रतिशत भी अगर आप देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन, क्या यह मुनासिब है ? बाकी को आप कहां ले जाते है ? जो ज्यादा साधन-सम्पन्न हैं या जहां पर राजनीतिक तौर से लोग सजग हैं और आन्दोलन कर सकते हैं, उनको आप देते हैं। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिस राज्य में डिपाजिट ठीक होता है, उसको उसी अनुपात में अपने राज्य के औद्योगिक, कृषि व अन्य विकास कार्यों के लिय धन दिया जाना चाहिए। आप सिर्फ धन देने की बजाय यही कहते रहे कि लोग मिलकर रहें और आपस में मतभेद नहीं बढ़ाए तो इससे काम नहीं चलेगा। "पर-उपदेशे-पाण्डित्यम", हर आदमी दूसरे को उपदेश देने में अपने को ज्यादा सक्षम मानता है। लेकिन, स्वयं उपदेश नहीं लेना चाहता। भारत सरकार की स्थिति भी यही है। कम खर्च करो और आस्टेरिटी अपनाओ। यह करो और वह करो आपकी भी, और राज्यों की भी फिजूलखर्ची मिटनी चाहिए। जनता की गाढ़ी कमाई से जो पैसा टैक्सों आदि के रूप में जमा होता है उसका सदुपयोग जनता तक पहुंचना चाहिए उनकी गरीबी मिटाने में मदद मिलनी चाहिए गरीबी रेखा से लोग उपर उठें, उनकी संख्या न बढ़ने पाए। असलियत में यही झगड़ा है। आपने तो टेबल बना दिया कि किस राज्य को कितना परसेंट दिया ? जो कुछ आप दे रहे हैं उसमें तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक से दीजिए ताकि वह अपने पांवो पर खड़े हो सकें ताकि संघ और राज्य का संबंध बिलकुल अटूट हो जाए। जहां तक देश की एकता का प्रश्न है, हम लोगों में कोई भी मतभेद नहीं होगा, चाहे किसी भी विचार या दल के हों और चाहे किसी की भी सरकार क्यों न हो सब राज्यों को मुनासिब हिस्सा देना आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिखराव की स्थिति जो पैदा होती है, वह नहीं होगी। जो हमारे देश के दुश्मन हैं और तरह-तरह की फूटवादी प्रवृत्तियों को फैलाना चाहते हैं, उनको भी अपना उल्लू सीधा करने का मौका नहीं मिलेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) महतरम चेयरमैन साहब, आठवें, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में जो चार बिल यहां हाऊस के सामने लाए गए हैं, इनके बारे में मैं कोई राय कायम नहीं करता हूं।

उस तरीकेकार के खिलाफ हूं जो मरकजी सरकार ने एडीशनल एक्साइज ड्यूटीज को तकसीम करने के सिलसिले में इस्तेमाल किया है। जैसे इन बिल्स में भी बताया गया है कि जो एडीशनल ड्यूटी इन ल्यू ऑफ सेल्स टैक्स के रूप में होगी, शुगर, टोबैको, काटेन फैब्रिक्स, वूलन फैब्रिक्स, मैन मेड फैब्रिक्स पर, जो स्टेट्स के सेल्स टैक्स को रिप्लेस करेगी इन कमोडिटीज में, उसमें जम्मू कश्मीर राज्य को हर साल 0.744 प्रतिशत भाग दिया जाएगा। इसी तरीके से पार्ट ऑफ नैट प्रोसीडिंग्स ऑफ दी यूनियन ड्यूटीज ऑफ एक्साइज अदर दैन-जैनरेशन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी में जम्मू कश्मीर राज्य को 0.839 प्रतिशत दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह भाग इतना कम है और इतना नगण्य है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझ पाया कि जब इस बारे में इतनी चर्चा है फिर इतनी कम मदद किस बेस पर दी गई है। सारी रियासतों से जब आप सेल्स टैक्स से होने वाली आमदनी ले रहे हैं, एडीशनल एक्साइज टैक्स के तौर पर, और उसको आगे तकसीम कर रहे हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर जैसी गरीब रियासत को जो भाग मिल रहा है, उसको देखकर मुझे बड़ा दुख होता है और इसीलिए मैं इन बिल्स की हिमायत नहीं करता। मैं जनावेवाला की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इस मुल्क में मुजाहिदीव आजादी ने अपनी जान की और माल की कीमत देकर स्वराज्य हासिल किया, वह सही मायनों में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि हमारे यहां अमीर और गरीब के बीच की खाई नहीं पाट दी जाती। आज हालात यह हो गई है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है। और गरीब की हालत बिगड़ती चली जा रही है। जब तक आप इस खाई को नहीं पाटेंगे तब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसी तरह से आप बड़ी रियासतों और छोटी रियासतों के बीच में इस लिहाज से अन्तर पैदा कर रहे हैं कि उनके पास साधन ज्यादा हैं या कम हैं। वे इंडस्ट्रियलाईजेशन या दूसरे मामलों में कितना आगे हैं। तरक्की याफ्ता रियासतों के मुकाबले में हमारे यहां कई ऐसी रियासतें हैं जो काफी पिछड़ी हैं, हर लिहाज से पीछे रह गई हैं। जब तक इन रियासतों को एक दूसरे के करीब नहीं लाया जाता और इनके दरम्यान की खाई को पाटा नहीं जाता, तब तक इस मुल्क में सच्चे मानों में स्वराज नहीं आ सकता। म पहले आया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां हमारे मुल्क में पंजाब की रियासत है, हरियाणा है वहीं जम्मू कश्मीर भी है, सिक्किम भी है, मिजोरम और नागालैंड भी हैं, उड़ीसा भी है जिनकी हालत बहुत गरीब, गुजरी हुई, पिछड़ी और बैकवर्ड है। आपका यह कहना कि तरक्कीयाफ्ता रियासतों के पास साधन ज्यादा हैं, लिहाजा उनको ज्यादा हक दिया जाए, वह जमहूरियत के तकाजे के खिलाफ बात है। मैं कहना चाहता हूं कि इन रियासतों के बीच के अंतर के पीछे दो कारण हैं—एक तो टैक्नालाजिकल और दूसरा बैंकिंग रुपये पैसे, रिसोर्सेज का इन पर ज्यादा मात्रा में खर्च होना। हमारी टैक्नालाजी इन तरक्कीयाफ्ता रियासतों की डैवलपमैंट पर ज्यादा खर्च हो रही है और उनके मुकाबले जितने पिछड़ी राज्य है वहां न तो टैक्नालौजी का सही इस्तेमाल हुआ है न वहां बैंकिंग फैसिलिटीज दी गई हैं जिसके कारण उनका डैवलपमैंट ज्यादा नहीं हुआ। उनको सरकार भी कम सरमाया दे रही है। आज इस अंतर को हमें कम करना चाहिए और यह बहुत जरूरी भी है। वरना इस देश में बहुत बड़ा क्राइसेज पैदा होगा। यह क्राइसेज ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त से पैदा हुआ था। जब उन्होंने हिन्दुस्तान पर कब्जा जमाया तो जो रियासतें उनके हाथ में आयीं वे डैवलप हो-गई और बाकी पिछड़ी रह गई, जहां रजवाड़े शाही थी—जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कुछ दीगर इलाके, आसाम और कुछ दूसरे इलाके, जहां सरकार की नजर नहीं पड़ी। ब्रिटिश गवर्नमैंट ने पंजाब में

कैनाल्स का जाल बिछा दिया, सिंध का डेवलपमेंट किया, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, उसके डेवलपमेंट की वजह से वहां बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ जब कि वह पूंजी सारे मुल्क की थी। कुछ इलाकों में रेलवे ट्रैक्स बिछाई गईं और कुछ रियासतों को दूसरी फैसिलिटीज दी गईं। बड़े शहरों, कलकत्ता, बंबई मद्रास, दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात अंग्रेजों ने दीं। लेकिन जो सरमाया रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, टैक्नालाजी पर खर्च हुआ वह पूरे देश की खून पसीने की कमाई थी। और अंग्रेजों ने जो सिलसिला शुरू किया, हमारी सरकार का फर्ज बनता था उसको खत्म करती। और जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनको आगे जाने के लिये ज्यादा से ज्यादा साधन तरक्की करने के लिये दिये जायें।

यह अफसाना (मिथ) भी ऐक्सप्लोड हो चुका है कि चूंकि कुछ इलाके नेचुरली बैकवर्ड हैं इसलिये वहां के लोग पीछे रह गये। इसलिए उसमें सरकार का क्या दोष। ऐसी बात नहीं है। जब आप राजस्थान को एशिया की सबसे बड़ी कैनाल के जरिये पानी दे रहे हैं। उससे सारे राजस्थान का नक्शा बदल जायगा। जब हरियाणा, पंजाब में नहरें नहीं थीं तो वहां का क्या हाल था ? लेकिन बाद में इन इलाकों में पानी आने से वहां उत्पादन बढ़ा, तरक्की हुई और जम्मू-कशमीर में जम्मू का इलाका बड़ा ही वैसी और बंजर है। लेकिन जब तवी और रावी से पानी देना शुरू कर दिया है तो काफी खुशहाल हो रहा है। इसलिए बैकर्डवनेस नेचुरल है यह बात गलत है।

आप उड़ीसा को देखें सैकड़ों मील तक जमीन खुश्क पड़ी है। अगर मोडर्न टैक्नालाजी से उसको पानी दे दिया जाय तो फिर देखिये वही इलाका पूरे देश की खुशहाली में कैसे अपना हिस्सा बांटेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो यहां पर फाइनेंशियल एनाटामी के नाम से नारा लगा कुछ रियासतों की तरफ से, हम उसके खिलाफ हैं। अब तक जो दौलत पैदा हो रही है वह रियासतों में जमा हो रही है, और कुछ राज्य हाथ फैलायें हैं जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा। जिन रियासतों में इस वक्त इन्डस्ट्रीज हैं, बिजली और सारे साधन हासिल हैं उनकी कैपिटल ग्रोथ बहुत बढ़ चुकी है और वह रियासतें अगर चाहें तो उनको ज्यादा शेयर मिले और बैकवर्ड स्टेट्स को नजरंदाज किया जाय, हम इससे मुतफिक नहीं हैं।

जो इस वक्त आप हासिल कर रहे हैं कुछ ऐडीशनल ऐक्साइज ड्यूटी अपने हाथ में ले ली इनल्यू आफ सेल्स टेक्स तो किसलिये ली ? आप परसेंटेज के हिसाब से तकसीम करें। एक तो कुछ हिस्सा अपने पास रखा और जो बचा उसमें से जम्मू-कश्मीर को .744 प्रतिशत टेबकों, शुगर और फेब्रिक में दिया। यह कोई इन्साफ की बात नहीं हुई इन्साफ तब होता जब उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए, उसके इलाके की वसत और पसमांदगी को ध्यान में रखते हुए देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिये जो तरीका फाइनेंस कमीशन ने अपनाया है उससे हम इत्तफाक नहीं करते हैं, और इस तरीकाकार को बदलने की जरूरत है। जब तक रियासतों को, जो बैकवर्ड स्टेट्स अगर आप उनकी तरक्की का इन्तजाम नहीं करेंगे तो इससे बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। जिन इलाकों में बैकवर्डनेस होगी वहां पर पोलिटिकल अनसरटेन्टी ज्यादा होगी क्योंकि बेरोजगार ज्यादा होंगे और जो तालीमयाफता बेरोजगार हैं, उनको जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं होगी, वहां लोगों की ज्यादा खपत डिफरेंट डिपार्टमेंटस और कार्य में करना मुश्किल होगा। इस तरीके से हमारे बैकवर्ड स्टेट में एक किस्म की टेंशन पैदा हो रही है, एक किस्म की बेईतमिनानी पैदा हो रही है, अन-सर्टेन्टी पैदा हो रही है और यह कोई

भी शक्ल अख्त्यार कर सकती है और इससे एक धमाका मुल्क में हो सकता है। इसको बचाने का एक तरीका होगा कि आप उन स्टेट्स के साथ जिसके साथ ना-इनसाफी हुई हो, उसे खत्म करें, उनकी मदद के लिये आगे आयें और टौप-प्रायर्टी पर उन स्टेट्स की डैवलमैंट के लिये काम करें, जिनकी तरक्की के बड़े इमाकानात हैं।

इस जिक्र में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जब आपने फाइनेन्शियल पावर्स अपने हाथ में ज्यादा लिये और उन रियासतों को फायदा भी नहीं दिया जो पसमांदा हैं और ऊपर से आपने इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को बहुत ताकतवर बना दिया, मैं तो आपको भी दोष दे रहा हूं, लेकिन आपसे ज्यादा दोष आपके सिस्टम को दे रहा हूं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स स्टेट्स के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और सेन्टर व स्टेट्स के सामने जो एक किस्म की टैंशन पैदा कर हो रही है उसके लिये एक बहुत बड़ी वजह ये ब्यूरोक्रेट्स है, जिन्होंने अपनी सल्तनत कायम की है और अपनी पैरेलल गवर्नमेंट कायम की है और जिनके इशारे पर आज का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार चल रही हैं। इस कदर इन्होंने कब्जा जमा रखा है। कि सेंटर और स्टेट्स के ताल्लुकात के पसमंजिल में बहुत गैर-जरूरी तौर पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं।

जम्मू-कश्मीर की रियासत के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत पहले से हमने आपसे कहा कि आप आगे आइये। हमारी स्टेट में अगर हैवी-इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती है तो भी हमारे पास बिजली पैदा करने के बड़े साधन हैं। हमारे पास इलैक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिये बड़े पोटेंशियल हैं, तवानाई के बड़े इमकान हैं, लेकिन आप बताइये कि पिछले 37 बरस में जम्मू-काश्मीर के दरिया, जो बड़ी ऊंचाई से नीचे ढलान में मैदानी इलाकों में जाते हैं, उसका आपने क्या फायदा उठाया ?

हमने आपसे कहा कि चिनाब, जेहलम और और सिन्ध जो लद्दाख से होकर आती हैं और फिर सारा पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, चिनाब जो इतने बड़े पहाड़ी इलाकों से होकर आती है, जिसका बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन बाद में उसका पानी पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, और जो सारे दरिया, नदी-नाले काश्मीर में हैं बह रहे हैं, उनका आप फायदा उठायें, लेकिन आपने कोई फायदा नहीं उठाया, आपने हमेशा हमको नजरनदाज किया, उसमें दोनों का नुक्सान हुआ, आपका भी और हमारा भी। आपके मरकज में पूरे मुल्क में जितनी ग्रोथ इलैक्ट्रिसिटी की होगी, उतने ही मुल्क की तरक्की के इमकानात बढ़ेगे। 10 हजार मेगावाट बिजली हम आपको देने के लिये तैयार हैं, लेकिन आप वहां पैसा लगाईये। आप इन्वैस्टमैंट करके देखिये लेकिन आपने पैसा नहीं दिया।

मैं अर्ज करना चाहता कि आप बैक्वर्ड और पासमाद रियासतों की मुश्किलात नहीं देखते। जब-जब हमने यह मांग की है, यह बात बराबर टूटती है, क्योंकि पैसों के मामले में आपके ब्यूरो क्रेट्स आपसे ज्यादा बाजी ले गये हैं और आपकी सारी कार्यवाही निकम्मी हो जाती है क्योंकि आपका सारा काम ब्यूरोक्रेट्स पर चल रहा है।

जब भी हमने रियासत जम्मू-कश्मीर में बिजली के प्रोजेक्ट्स को डैवलप करने की बात की, उड़ी प्रोजेक्ट, सलाल प्रोजेक्ट और दुलहस्ती प्रोजेक्ट लगाने की बात कही आपने अपने ब्यूरों-क्रेट्स का डैलीगेशन भेज दिया जो कि वहां पर सिर्फ वक्त जाया करते रहे और अपने लिये एलाउन्सेज हासिल करते रहे। यह बड़े अफसोस की बात है, इसमें आपका भी दखल है कि आपने उसको पौलिटिक्स बना दिया। उसमें आपकी जिम्मेदारी भी है और उनकी देखादेखी ब्यूरोक्रेट्स ने भी इन कामों को तकमील तक पहूंचने नहीं दिया।

मैंने पीछे एक सवाल किया था कि जम्मू कश्मीर के इलाके में सुरेन्सर एक मुकाम है जहां-

इन्डो-रशियन को आपरेशन के तहत जमीन की खुदाई हुई, ड्रिलिंग हुई, बड़े टनोक्लोजिस्ट आये और जमीन खोदने पर नीचे वहीं गैस निकल आई। जब मैंने सवाल पूछा तो कहा गया कि इस किस्म की कोई खुदाई नहीं हुई लेकिन राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि खुदाई हुई, लेकिन वहां इस किस्म की गैस निकली, हमारी टेकनालोजी इतनी डेवेलप्ड नहीं है कि उसका उत्पादन होता और उसका फायदा उठाया जाता। अगर उसका उत्पादन होता, तो यह देश के हित में होता, लेकिन यह नहीं हुआ उसके बाद उस कुंएं को बन्द कर दिया गया।

कौन सी ऐसी रियासत है इस मुल्क में, जिसके अपने कुदरती वसायल नहीं हैं, जिनसे फायदा नहीं उठाया जा सकता अलग अलग जुगराफिये, टापोग्राफी और हालात के मुताबिक वहां से चीज मिल सकती हैं। जम्मू-काश्मीर में बिजली, पेट्रोल और गैस मिल सकते हैं। बहुत सी जगहों से गैस और पेट्रोल निकले भी है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उसकी खुदाई जरूरी नहीं समझी। अगर यहां पर खुदाई की जाए, तो वहां पर और बहुत सी कीमती चीजें मिल सकती हैं। यह गवर्नमेंट पिछड़ी हुई रियासतों के साथ इन्साफ नहीं कर सकती। शायद उसकी एक बड़ी वजह यह है कि उन रियासतों में, और खास तौर पर जम्मू-कश्मीर में, इन लोगों की पसन्द की सरकार नहीं है। इसी वजह से वह उनकी मदद नहीं करना चाहती। हमारे यहां टूरिज्म की डेवेलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किया है?

सभापति महोदय: यह जेनरल डीबेट नहीं है। आप इन्हीं बिलों पर बोलिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली: मैं इन बिलों के पसे-मन्जर में ही कहा रहा हूं। वैसे तो इस पर काफी कहा जा सकता है, लेकिन मैं तो सिर्फ इशारा ही कर रहा हूं कि टूरिज्म और फ्रूट्स में तरक्की के बहुत इमकानात थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं दी।

फिनांस मिनिस्ट्री के जरिये रियासतों में 37,000 करोड़ रुपया का टोटल इन्वैस्टमेंन्ट किया गया है और 24,000 करोड़ रुपया सिर्फ पब्लिक अंडरटेकिंग्ज पर खर्च किए गए हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में बहुत कम रुपया खर्च किए गए आप फैक्ट्स एंड फिगर्ज देखिए कि कितना मामूली (इनसिग्नीफिकेंट) कान्ट्रीब्यूशन जम्मू-कश्मीर के लिए हुआ है—वह न होने के बराबर है। मैं बताना चाहता हूं कि मरकज के पास जो ताकत है, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। वह पिछड़ी हुई रियासतों को और बैकवर्ड बनाना चाहता है। यह पालिसी बहुत गलत है और मुल्क के हित में नहीं है।

एक आनरेबल मेम्बर, श्री नामग्याल, ने कहा कि जम्मू-काशमीर में इन्कम टैक्स के कुछ छापे पड़े, तो वहां पर सरकार ने उनकी मदद नहीं की। यह बिल्कुल गलत बात है। वह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। मैं आनरेबल मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि अगर वहां पर कोई जायज कार्यवाही होगी, कोई ब्लेक-मार्केटियर है, कोई धन-चोर है कोई धोखाधड़ी की बात चल रही है, कोई स्कैंडल रेकट चल रहा है, तो जम्मू-कशमीर की सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकती। सरकार आप की है, कानून आप के हाथ में है, आपके हाथ लम्बे हैं। कौन आपको रोक सकता है? न ही हमको इसमें कोई परेशानी है। लेकिन मरहूम शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के वक्त में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस ढंग से वहां पर अपने आदमियों को भेजा, उससे ऐसा लगता था कि जैसे वहां की सरकार पर रेड करना हो। उससे इनका इमेज अच्छा नहीं हुआ, बल्कि बहुत खराब हुआ। हमने उसकी मुखालिफत और निन्दा की। हमने यह नहीं कहा कि इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट चोरों से पैसा न ले या चोरों को न पकड़े। हम कहते हैं कि काम करने के ढंग होते हैं, हवाई जहाज पर बैठ कर लोग वहां पर गए और उन्होंने चुन चुन कर नैशनल कांफ्रेंस

के हामी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स पर छापे मारे । इंडस्ट्रियलिस्ट्स या बिजिनेसमैन का पार्टियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता । उनके अपने इन्ट्रेस्ट होते हैं । लेकिन जहां सरकार इस ढंग से सोचे कि यह बीजनैसमैन इस लाइन पर जा रहा है और वह दूसरी लाइन पर जा रहा है, तो यह बड़े दुःख की बात होगी । हमने देखा है कि जिनकी थोड़ी बहुत सिमपैथी नेशनल कान्फ्रेंस के थी, केवल उन्हीं के ऊपर हाथ डाला । ... (व्यवधान) ... जो लोग जो ... (व्यवधान) ... इस कहर से जब आप ने एक्सन लिया । इसमें बहुत सारे बेगुनह लोगों के साथ ज्यादती हुई । आप इस सारे मामले की इन्वैस्टीनेशन करा सकते हैं । आप इस आनरैबिल हाऊस के मैम्बर्स का एक कमीशन बना दें, हम इन्वैस्टीगेशन के लिए तैयार हैं । फिर देखेंगे कि किस हद कौन सच्चा है और कौन गलत हैं । मैं किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता हूं लेकिन हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि आप स्टेट की पावर्स को चेलेंज करें । आप वहां पर हल्ला बोल दें, वहां की पुलिस और वहां की सरकार के सारे अख्तियारात तथा नोटोनोमी को रोंद दें । हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे । आपने वहां की पुलिस को बराबर रखा और सरकार को भी ईसके बारे में नहीं बताया ।

इस मुल्क में सैन्टर-स्टेट रिलेशन्स को संवारने के लिए सही ढंग पर चलने की जरूरत है । जहां तक फाइनांशियल आटोनोमी का सवाल है, यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि में इसके हक में नहीं हूं । आपने सरकारीया कमीशन बनाया है और सरकार ने इस बात को तसलीम किया है कि कुछ डिमार्केशन हैं । स्टेट के अपने कुछ अख्तियारात हैं, इस ढंग से आप को स्टेट के अख्तियारात को चैलेंज नहीं करना चाहिए । इस प्रकार आप कमजोर रियासत को कमजोर रखकर न मर्कज को मजबूत कर सकते हैं और न मुल्क को मजबूत कर सकते हैं । आप स्टेट को कमजोर करेंगे तो यह मुल्क कमजोर होगा । इनको मजबूत बनाने के लिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि स्टेट के जो अपने अख्तियारात हैं, उनकी आजादी में आप हाथ न डालें । जो फाइनेंशियल पोटेंशियल आपके पास हैं, उसका इस्तेमाल इस ढंग से करें, जो पसमंदा रियासतें हैं, जिनकी तरक्की अभी तक नहीं हुई है, जिन को आगे लाने के लिए आपके पास साधन हैं, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं । मैं मतालबा करता हूं कि आप ताकत का सही इस्तेमाल करें और अमीर व गरीब रियासतों के बीच में जो अन्तर है, उसको खत्म करें । इस तरह की जो टेंशन आप बिल्ट करना चाहते हैं, उसको मिटा दें ।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

شری عبدالرشید کابلی۔ (سری نگر): محترم چیرمین صاحب! آٹھویں فائینانس کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں جو چار بل یہاں ہاؤس کے سامنے لائے گئے ہیں ان کے بارے میں میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا ہوں۔ میں اس طریقۂ کار کے خلاف ہوں جو مرکزی سرکار نے ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹیز کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں استعمال کیا ہے۔

جیسے ان بلس میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو ایڈیشنل ڈیوٹی ان لیو آف سیلس ٹیکس کے روپ میں ہوگی۔ شوگر۔ ٹوبیکو۔ کاٹن فیبرکس۔ وولن فیبرکس میں میڈ فیبرکس پر جو اسٹیٹس کے سیلس ٹیکس کو ریپلیس کرے گی ان کموڈیٹیز میں اس میں جموں کشمیر راجیہ کو ہر سال ۴۴۷۶۰ پرتی شت بھاگ دیا جائے گا۔ اس طریقے سے پارٹ آف نیٹ پروسیڈنگس آف دی یونین ڈیوٹیز آف ایکسائز اور دین جنریشن آف ایکٹریسٹی میں جموں کشمیر راجیہ کو ۰۶۸۳۹ پرتی شت دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھاگ اتنا کم ہے اور اتنا تنگ ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ جب اس بارے میں اتنی چرچا ہے پھر اتنی کم مدد کس بیس پر دی گئی ہے۔ ساری ریاستوں سے جب آپ سیلس ٹیکس سے ہونے والی آمدنی لے رہے ہیں۔ ایڈیشنل ایکسائز ٹیکس کے طور پر اور اس کو آگے تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں جموں کشمیر جیسی غریب ریاست کو جو بھاگ مل رہا ہے اس کو دیکھ کر مجھے بڑا دکھ

ہوتا ہے اور اسی لئے میں ان بلس کی حمایت نہیں کرتا۔ میں جناب والا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں مجاہدین آزادی نے اپنی جان کی اور مال کی قیمت دے کر سوراجیہ حاصل کیا وہ صحیح معنوں میں تب تک نہیں آسکتا جب تک کہ ہمارے یہاں امیر اور غریب کے بیچ کی کھائی نہیں پاٹ دی جاتی۔ آج حالت یہ ہوگئی ہے کہ امیر اور امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب کی حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ جب تک آپ اس کھائی کو نہیں پاٹیں گے تب تک ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اس طرح سے آپ بڑی ریاستوں اور چھوٹی ریاستوں کے بیچ میں اس لحاظ سے انتر پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سادھن زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ وہ انڈسٹریلائزیشن یا دوسرے معاملوں میں کتنا آگے ہیں۔ ترقی یافتہ ریاستوں کے مقابلے میں ہمارے یہاں کئی ایسی ریاستیں ہیں جو کافی پچھڑی ہیں ہر لحاظ سے پیچھے رہ گئی ہیں۔ جب تک ان ریاستوں کو ایک دوسرے کے قریب نہیں لایا جاتا اور ان کے درمیان کی کھائی کو پاٹا نہیں جاتا تب تک اس ملک میں سچے معنوں میں سوراج نہیں آسکتا۔ نہ پہلے آیا ہے۔ اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہمارے ملک میں پنجاب کی ریاست ہے ہریانہ ہے وہیں جموں کشمیر بھی ہے۔ سکم بھی ہے۔ مزورم اور ناگالینڈ بھی ہیں۔ اڑیسہ بھی ہے جن کی حالت بہت غریب گذری ہوئی پچھڑی اور بیک ورڈ ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ ترقی یافتہ ریاستوں کے پاس سادھن زیادہ ہیں لہٰذا ان کو زیادہ حق دیا جائے یہ جمہوریت کے تقاضے کے خلاف بات ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان ریاستوں کے بیچ کے انتر کے پیچھے دو کارن ہیں۔ ایک تو ٹیکنالوجیکل اور دوسرا بینکنگ۔ روپیہ پیسہ۔ ریسورسز کا ان پر زیادہ ماترا میں خرچ ہونا ہمارے ٹیکنالوجی ان ترقی یافتہ ریاستوں کی ڈیولپمنٹ پر زیادہ خرچ ہو رہا ہے اور ان کے مقابلے جتنے پچھڑے راجیہ ہیں وہاں نہ تو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہوا ہے اور نہ وہاں بینکنگ فیسلیٹیز دی گئی ہیں جس کے کارن ان کا ڈیولپمنٹ زیادہ نہیں ہوا۔ ان کو سرکار بھی کم سرمایہ دے رہی ہے۔ آج اس انتر کو ہمیں کم کرنا چاہئے اور یہ بہت ضروری بھی ہے۔ ورنہ اس دیش میں بہت بڑا کینسر پیدا ہوگا۔ یہ کینسر برٹش سامراجیہ کے وقت سے پیدا ہوا تھا۔ جب انہوں نے ہندوستان پر قبضہ جمایا تو جو ریاستیں ان کے ہاتھ میں آئیں وہ ڈیولپ ہو گئیں اور باقی پچھڑی رہ گئیں۔ جہاں راج دوڑ سے خالی تھی جیسے جموں کشمیر راجستھان کے کچھ دیگر علاقے آسام اور کچھ دوسرے علاقے جہاں سرکار کی نظر نہیں پڑی۔ برٹش گورنمنٹ نے پنجاب میں کینالس کا جال بچھا دیا۔ سندھ کا ڈیولپمنٹ کیا جو اب پاکستان کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ اتپادن ہوا جب کہ وہ پونجی سارے ملک کی تھی۔ کچھ علاقوں میں ریلوے ٹریکس بچھائی گئیں اور کچھ ریاستوں کو دوسری فیسلیٹیز دی گئیں۔

بڑے شہروں کلکتہ۔ بمبئی۔ مدراس۔ دلی کو زیادہ سے زیادہ سہولیات انگریزوں نے دیں۔ لیکن جو سرمایہ ریلوے۔ کمیونیکیشن۔ ٹیکنالاجی پر خرچ ہوا وہ پورے دیش کی خون پسینے کی کمائی تھی۔ اور انگریزوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہماری سرکار کا فرض بنتا تھا کہ اس کو ختم کرتی اور جو بیکورڈ اسٹیٹس ہیں ان کو آگے جانے کے لئے زیادہ سے زیادہ سادھن ترقی کرنے کے لئے دیئے جائیں۔

یہ افسانہ بھی ایکسپلوڈ ہو چکا ہے کہ چونکہ کچھ علاقے نیچورلی بیکورڈ ہیں اس لئے وہاں کے لوگ پیچھے رہ گئے۔ اس لئے اس میں سرکار کا کیا دوش۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ راجستھان کو ایشیا کی سب سے بڑی کینال کے ذریعے پانی دے رہے ہیں اس سے سارے راجستھان کا نقشہ بدل جائے گا۔ جب ہریانہ۔ پنجاب میں نہریں نہیں تھیں تو وہاں کا کیا حال تھا۔ لیکن بعد میں ان علاقوں میں پانی جانے سے وہاں اتپادن بڑھا۔ ترقی ہوئی اور جموں کشمیر میں جموں کا علاقہ بڑا ہی وسیع اور بنجر ہے۔ لیکن جب توی اور راوی سے پانی دینا شروع کر دیا ہے تو کافی خوش حال ہو رہا ہے اس لئے بیک ورڈنیس نیچورل ہے یہ بات غلط ہے۔

آپ اڑیسہ کو دیکھیں۔ سیکڑوں میل تک زمین خشک پڑی ہے۔ اگر ماڈرن ٹیکنالوجی سے اس کو پانی دے دیا جائے تو پھر دیکھئے وہی علاقہ پورے دیش کی خوش حالی میں کیسے اپنا حصہ بانٹیگا۔ اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں جو یہاں پر فائنینشیل اٹانومی

کے نام سے نعرہ لگا۔ کچھ ریاستوں کی طرف سے ہم اس کے خلاف ہیں۔ اب تک جو دولت پیدا ہو رہی ہے وہ کچھ ریاستوں میں جمع ہو رہی ہے وہ کچھ ریاستوں میں جمع ہو رہی ہے اور کچھ راجیہ ہاتھ پھیلائے ہیں جیسے جموں کشمیر۔ ہماچل پردیش۔ آسام۔ اڑیسہ۔ جن ریاستوں میں اس وقت انڈسٹریز ہیں بجلی اور سارے سادھن حاصل ہیں ان کی کیپیٹل گروتھ بہت بڑھ چکی ہے اور وہ ریاستیں اگر چاہیں کہ ان کو زیادہ شیئر ملے اور بیک ورڈ اسٹیٹس کو نظر انداز کیا جائے ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔

جو اس وقت آپ حاصل کر رہے ہیں کچھ ایڈیشنل ایکسائز ڈیوٹی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ان لیو آف سیلس ٹیکس تو کس لئے

جموں کشمیر کی ریاست کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ بہت پہلے سے ہم نے آپ سے کہا کہ آپ آگے آئیے۔ ہماری اسٹیٹ میں اگر بھاری انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکتی ہے تو بھی ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کے بڑے سادھن ہیں۔ ہمارے پاس الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لئے بڑے پوٹینشیل ہیں۔ توانائی کے بڑے امکان ہیں۔ لیکن آپ بتائیے کہ پچھلے ۳۷ برس میں جموں کشمیر کے دریا جو بڑی اونچائی سے نیچے ڈھلان میں ہو کر میدانی علاقوں میں جاتے ہیں۔ ان کا آپ نے کیا فائدہ اٹھایا۔

ہم نے آپ سے کہا کہ چناب، جہلم اور سندھ جو لداخ سے ہو کر آتا ہے اور پھر سارا پانی پاکستان کی طرف جاتا ہے۔ چناب جو اتنے بڑے پہاڑی علاقوں سے ہو کر آتی ہے جس کا بڑا پوٹینشیل ہے لیکن بعد میں اس کا پانی پاکستان چلا جاتا ہے اور جو سارے دریا ندی نالے کشمیر میں بہہ رہے ہیں۔ ان کا آپ فائدہ اٹھائیں۔ لیکن آپ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ نے ہمیشہ ہم کو نظرانداز کیا۔ اس میں دونوں کا نقصان ہوا آپ کا بھی اور ہمارا بھی۔ آپ کے مرکز میں پورے ملک میں جتنی گروتھ الیکٹریسٹی کی ہوگی اتنی ہی ملک کی ترقی کے امکانات بڑھیں گے۔ ۱۰ ہزار میگاواٹ بجلی ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن آپ وہاں پیسہ لگائیے۔ آپ انویسٹمینٹ کر کے دیکھئے۔ لیکن آپ نے پیسہ نہیں دیا۔

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیک ورڈ اور پسماندہ ریاستوں کی مشکلات نہیں رکھتے۔ جب جب ہم نے یہ مانگ کی ہے یہ بات برابر ٹوٹتی ہے کیونکہ پیسوں کے معاملے میں آپ کے بیوروکریٹس آپ سے زیادہ بازی لے گئے ہیں اور آپ کی ساری کارروائی نکمی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ کا سارا کام بیوروکریٹس پر چل رہا ہے۔

جب بھی ہم نے ریاست جموں کشمیر میں بجلی کے پروجیکٹس کو ڈیولپ کرنے کی بات کی ازمی پروجیکٹ۔ سلال پروجیکٹ اور دلہستی پروجیکٹ لگانے کی بات کہی۔ آپ نے اپنے بیوروکریٹس ڈیلیگیشن بھیج دیا۔ جو کہ وہاں پر صرف وقت ضائع کرتے رہے اور اپنے لئے الاؤنس حاصل کرتے رہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس میں آپ کا بھی دخل ہے کہ آپ نے اس کو پالیٹکس بنا دیا۔ اس میں آپ کی ذمہ داری بھی [illegible] بیوروکریٹس نے بھی ان کاموں کو تکمیل تک پہنچنے [illegible] دیا۔

میں نے پچھلے ایک سوال دیا تھا کہ جموں کشمیر کے علاقے میں [illegible] ایک مقام ہے جہاں انڈسٹریلائزیشن کو [illegible]

لی۔ آپ پرسینٹیج کے حساب سے تقسیم کریں۔ ایک تو کچھ حصہ اپنے پاس رکھا اور جو بچا اس میں سے جموں کشمیر کو ۴۴ء پرسینٹ ٹوبیکو شوگر اور فیبرک میں دیدیا۔ یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوئی۔ انصاف تب ہوتا جب اس کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے علاقے کی وسعت اور پسماندگی کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس لئے جو طریقہ فائننس کمیشن نے اپنایا ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ اور اس طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ریاستوں کی جو بیک ورڈ اسٹیٹس ہیں اگر آپ ان کی ترقی کا انتظام نہیں کریں گے تو اس سے بڑے خطرناک نتیجے نکل سکتے ہیں۔ جن علاقوں میں بیک ورڈنیس ہوگی وہاں پر پولیٹیکل انسرٹینیٹی زیادہ ہوگی۔

کیونکہ بے روزگار زیادہ ہوں گے اور جو تعلیم یافتہ بے روزگار ہیں ان کو زندہ رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہوگا۔ جہاں انڈسٹریلائزیشن زیادہ نہیں ہوگی۔ وہاں لوگوں کی زیادہ کھپت ڈیفرینٹ ڈیپارٹمنٹس اور کارے میں کرنا مشکل ہوگا۔ اس طریقے سے ہمارے بیک ورڈ اسٹیٹ میں ایک قسم کی ٹینشن پیدا ہو رہی ہے۔ ایک قسم کی بے اطمینانی پیدا ہو رہی ہے۔ ان سرٹینیٹی پیدا ہو رہا ہے اور وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اور اس سے ایک دھماکہ ملک میں ہو سکتا ہے اور اس کو بچانے کا ایک طریقہ ہوگا کہ آپ ان اسٹیٹس کے ساتھ جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو اسے ختم کریں۔ ان کی مدد کے لئے آگے آئیں اور ٹاپ پرائرٹی پر ان اسٹیٹس کی ڈیولپمنٹ کے لئے کام کریں۔ جن کی ترقی کے بڑے امکانات ہیں۔

اس ضمن میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے فائننشیل پاورز اپنے ہاتھ میں زیادہ لیے اور ان ریاستوں کو فائدہ بھی نہیں دیا جو پسماندہ ہیں اور اوپر سے آپ نے اس ملک میں بیوروکریسی کو بہت طاقتور بنا دیا۔ میں تو آپ کو بھی دوش دے رہا ہوں لیکن آپ سے زیادہ دوش آپ کے سسٹم کو دے رہا ہوں جس میں بیوروکریٹس اسٹیٹس کے لئے بہت مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور سینٹر و اسٹیٹس کے سامنے جو ایک قسم کی ٹینشن پیدا ہو رہی ہے اس کے لئے ایک بہت بڑی وجہ یہ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے اپنی سلطنت قائم کی ہے اور اپنی پیرالل گورنمنٹ قائم کی ہے اور جن کے اشارے پر آج کا ایڈمنسٹریشن اور سرکار چل رہی ہے۔ اس قدر انہوں نے قبضہ جما رکھا ہے کہ سینٹر اور اسٹیٹ کے تعلقات کے پس منظر میں وہ بہت غیر ضروری طور پر اپنی پاورس کا استعمال کرتے ہیں۔

ہے اور ملک کے ہت میں نہیں ہے۔

ایک آنرایبل ممبر شری نام گیال نے کہا کہ جموں کشمیر میں انکم ٹیکس کے کچھ چھاپے پڑے تو وہاں پر سرکار نے ان کی مدد نہیں کی۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ میں آنرایبل منسٹر کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں پر کوئی ناجائز کارروائی ہو گی۔ کوئی بلیک مارکیٹنگ ہے کوئی دھن پڑا ہے کوئی دھوکہ دھڑی کی بات چل رہی ہے کوئی اسکینڈل یا ریکٹ چل رہا ہے تو جموں کشمیر کی سرکار اس کے خلاف کارروائی پر ایک نہیں لگا سکتی۔ سرکار آپ کی ہے قانون آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے ہاتھ لمبے ہیں۔ کوئی آپ کو روک سکتا ہے نہ ہی ہم کو اس میں کوئی پریشانی ہے لیکن مرحوم شیخ محمد عبداللہ کے وقت میں انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے جس ڈھنگ سے وہاں پر اپنے آدمیوں کو بھیجا اس سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہاں کی سرکار پر ریڈ کرنا ہو۔ اس سے ان کا امیج اچھا نہیں ہوا بلکہ بہت خراب ہوا۔ ہم نے اس کی مخالفت اور نندا کی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ چوروں سے پیسہ نہ لے یا چوروں کو نہ پکڑے۔

ہم کہتے ہیں کہ کام کرنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر لوگ وہاں گئے اور انہوں نے چن چن کر نیشنل کانفرنس کے حامی کچھ انڈسٹریلسٹس پر چھاپے مارے۔ انڈسٹریلسٹس یا بزنس مین کا پارٹیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں۔

لیکن جہاں سرکار اس ڈھنگ سے سوچے کہ یہ بزنس مین اس لائن پر جا رہا ہے اور وہ دوسری لائن پر جا رہا ہے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کی تھوڑی سی بہت سمپیتھی نیشنل کانفرنس سے تھی۔ کیول انہیں کے اوپر ہاتھ ڈالا۔

. . . . (انٹرپشنز) . . . جو لوگ تھے . . . (انٹرپشنز) . . . .

اس طرح سے جب آپ نے ایکشن لیا۔ اس میں بہت سارے بے گناہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ آپ اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کرا سکتے ہیں۔ آپ اس آنرایبل ہاؤس کے ممبروں کا ایک کمیشن بنا دیں۔ ہم انویسٹیگیشن کے لئے تیار ہیں۔ پھر دیکھیں گے کہ کس حد تک کون سچا ہے اور غلط ہے۔ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اسٹیٹ کی پاورس کو چیلنج کریں۔ آپ وہاں پر پلا بول دیں۔ وہاں کی پولیس اور وہاں کی سرکار کے سارے اختیارات تھما اٹھانی کو ردو بدل کریں۔ ہم اس کی اجازت بالکل نہیں دیں گے۔ آپ نے آگے اور زمین کھودنے پر نیچے وہاں گیس نکل آئی۔

جب میں نے سوال پوچھا تو کہا گیا کہ اس قسم کی کوئی کھدائی نہیں ہوئی۔ لیکن راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ کھدائی ہوئی لیکن وہاں اس قسم کی گیس نکلی ہماری ٹیکنولوجی اتنی ڈیولپڈ نہیں ہے کہ اس کا اتپادن ہوتا اور اس کا فائدہ اٹھایا جاتا۔ اگر اس کا اتپادن ہوتا تو وہ ریاست کے ہت میں ہوتا لیکن یہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔

کون سی ایسی ریاست ہے اس ملک میں جس کے اپنے قدرتی وسائل نہیں ہیں جن سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ الگ الگ جغرافیائی ٹاپوگرافی اور حالات کے مطابق وہاں سے چیزیں مل سکتی ہیں۔ جموں کشمیر میں بجلی پیٹرول اور گیس مل سکتے ہیں۔ بہت سی جگہوں سے گیس اور پیٹرول نکلے بھی ہیں لیکن اس گورنمنٹ نے اس کی کھدائی ضروری نہیں سمجھی۔ اگر وہاں پر کھدائی کی جائے تو وہاں پر اور بہت سی قیمتی چیزیں مل سکتی ہیں۔ یہ گورنمنٹ پچھڑی ہوئی ریاستوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاستوں میں اور خاص طور پر جموں کشمیر میں ان لوگوں کی پسند کی سرکار نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ ان کی مدد نہیں کرنا چاہتی۔

ہمارے یہاں ٹورزم کی ڈیولپمینٹ کے لئے گورنمنٹ نے کیا کام کیا ہے۔

سبھاپتی مہودے: یہ جنرل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ آپ انہیں

شری عبدالرشید کابلی: میں ان بلوں کے پس منظر میں ہی کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو اس پر کافی کہا جا سکتا ہے لیکن میں تو صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں کہ ٹورزم اور فروٹس میں ترقی کے بہت امکانات تھے لیکن اس گورنمنٹ نے کوئی مدد نہیں دی۔

فنانس منسٹر کے ذریعہ ریاستوں ۳۶۲۳۷.۰۰ کروڑ روپے کا ٹوٹل انوسٹمینٹ کیا گیا ہے اور ۲۴۰.۰۰ روپے صرف پبلک انڈر ٹیکنگز پر خرچ کئے گئے ہیں۔ لیکن جموں کشمیر میں بہت کم روپے خرچ کئے گئے۔ آپ فگرس اینڈ فیگرز دیکھئے کہ کتنا معمولی انسگنیفیکینٹ کنٹری بیوشن جموں کشمیر کے لئے ہوا ہے۔ وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرکز کے پاس جو طاقت ہے اس کا غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ پچھڑی ہوئی ریاستوں کو اور بیک ورڈ بنانا چاہتا ہے۔ یہ پالیسی بہت غلط

وہاں کی پولیس کو بے خبر رکھا اور سرکار کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔

اس ملک میں سینٹر اسٹیٹ ریلیشنس کو سنوارنے کے لئے صحیح ڈھنگ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک فائنانشیل آٹو نامی کا سوال ہے یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ نے سرکاریا کمیشن بنایا ہے اور سرکار نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کچھ ڈسپیارٹیشن ہے۔ اسٹیٹ کے اپنے کچھ اختیارات ہیں۔ اس ڈھنگ سے آپ کو اسٹیٹ کے اختیارات کو چیلنج نہیں کرنا چاہئے۔ اس سرکار آپ کمزور ریاست کو کمزور رکھ کر نہ مرکز کو مضبوط کر سکتے ہیں اور نہ ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آپ اسٹیٹ کو کمزور کریں گے تو یہ ملک کمزور ہوگا۔ ان کو مضبوط بنانے کے لئے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ کے جو اپنے اختیارات ہیں ان کی آزادی میں آپ ہاتھ نہ ڈالیں۔ جو فائننشیل پوٹنشیل آپ کے پاس ہیں اس کا استعمال اس ڈھنگ سے کریں جو پسماندہ ریاستیں ہیں۔ جن کی ترقی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ جن کو آگے لانے کے لئے آپ کے پاس سادھن ہیں ان کا استعمال کریں لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ طاقت کا صحیح استعمال کریں اور امیر و غریب ریاستوں کے بیچ میں جو انتر ہے اس کو ختم کریں۔ اس طرح کی جو ٹینشن آپ بلٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو مٹا دیں۔

اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات سمایت کرتا ہوں۔

***SHRI S. T. K. JAKKAYAN** (Periakulam) : Mr. Chairman, Sir, on behalf of A.I. A.D.M.K., I wish to raise a few relevant issues relating to the Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill, 1984 and the other three Bills which have been taken up together for discussion.

Sir, the Eighth Finance Commission...

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : सभापती महोदय, दिल्ली में पांच मेम्बर पालियामेन्ट गिरफतार हुए हैं— क्या आप के पास कोई सूचना है ?

सभापति महोदय: मेरे पास कोई इन्फर्मेशन नहीं है।

SHRI S.T.K. JAKKAYAN : The Eighth Finance Comimssion gave its interim report on November 14, 1983. This Bill giving legislative shape to the recommendations contained in this interim report has been prepared on 23rd April, 1984 and presented to this House. On April 30, 1984 the Eighth Finance Commission has given its final Report. It has taken six months for the Centre to bring this bill giving effect to the recommendations contained in the interim report of the 8th Finance Commission. I say this in particular because there should be no such delay in implementing the recommendations contained in the final report of the 8th Finance Commission.

I find from these four Bills that there has been gradual reduction of Tamil Nadu's share in the excise duty revenue. The Seventh Finance Commission had recommended 7.641%. Now the Eighth Finance Commission has brought it down to 7.637%. The Seventh Finance Commission recommended 7.25% as Tamilnadu's share in the excise duty on electricity. This 7.25% was given in 1979 and it came down to 6.38% in 1983-1984. Now the 8th Finance Commission has recommended 7.71% for 1984-85. As the recommendations of the Finance Commission are affective for five years, I am afraid that this 7.71% may decline to a similar figure of 1983-1984. I want the hon. Finance Minister to ensure that this does not happen. The Tamil Nadu's share in the additional excise duty on goods of special importance was 7.710% as recommended by the 7th Finance Commission. This has been brought down to 7.707% by the 8th Finance Commission.

Sir, I have to point out that while the excise revenue of the Centre is going up regularly year after year, the share of the States is going down year by year. The avenues of raising resources for the States are getting shrunk. If the salestax is increased the prices of essential commodities go up, creating discontent among the common people. The land revenue is not collected during drought and floods which are not infrequent. All the same the expenditure of the States is mounting up. Presently 40% of annual net proceeds of the Union duties of

*Original speech was delivered in Tamil.

excise is paid to the States. I demand that this 40% should be raised to 60%. Then only the States will be able to keep up the tempo of development. I need not say that if the foundation is laid on the quicksand then the edifice cannot last long. If the States are enfeebled the Centre cannot be strong. I want more allocation of central tax revenues to the States. With these words I conclude my speech.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA): Sir, the Debate has covered certain familiar grounds. Statistics have been hurled at us and we have presented statistics to rebut the charge which has been repeatedly made. As I made my statement in my opening remarks......

श्री मनी राम बागड़ी : सभापति महोदय, मतलब की बात का आपको पता नहीं है। यहां पर पांच आदमी बैठे हैं, कोरम के बगैर पार्लियामेंट कैसे चलेगी ? मैंने जो बात पहले उठाई थी—दिल्ली में दस हजार आदमी गिरफ्तार हुए हैं......

सभापति महोदय : उस की इन्फार्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री मनी राम बागड़ी : 10 हजार आदमी गिरफ्तार हुए हैं। चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, स्वामी इन्द्रवेश वगैरह। आप के पास इन्फार्मेशन क्यों नहीं आई? मेरे सामने इत्तिला दी है।

सभापति महोदय : देख लेते हैं, अगर आई होगी तो आप को बतला देंगे।

श्री मनी राम बागड़ी : सदन में कोरम नहीं है।

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister may please resume his seat. There is no quorum.

Let the Quorum Bell be rung.

16.54 hrs.

(MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Now there is Quorum. The hon. MINISTER may please resume his speech.

SHRI S.M. KRISHNA : I was submitting that the same charges were made against us.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : The question of quorum was raised by Mr. Bagri because he wanted to have some information about the arrested Members of Parliament. Four hours have passed. They were arrested round about 1 o'Clock. It is nearing 5 o'Clock now. Boat Club is hardly one mile away.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Information, when received, will be placed before the hon. Members.

PORF. AJIT KUMAR MEHTA : It is strange that information has not yet come.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let the Minister reply.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA : There is no government functioning.

SHRI SATISH AGARWAL : Even in Delhi ?

SHRI S.M. KRISHNA : Mr. Deputy-Speaker, charges have been made against the Government for discriminating between States purely on the basis of the complexion of the Government that is in existence. We are accused of *ad hocim*. We are accused of taking away the rights of the State Governments, total autonomy in financial matters has been demanded. These are all arguments, these are all charges which have been made earlier and they have been very effectively rebutted. Let me make it very very clear that the overall management of the economy of the country is an obligation cast on the federal government and this Government has no intention to abandon that obligation.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : It is a joint responsibility.

SHRI S.M. KRISHNA : We cannot be oblivious to that obligation. But it is a fact that not only the State Government but even the federal government is facing

difficulties in terms of mobilising resources for the various developmental activities of the nation. And in discharging that responsibility we also have to have adequate concern for the States.

Now, the argument is not that we want a strong Centre at the cost of the State Governments; the Prime Minister has repeatedly said that the Central Government, can be as strong as the State Governments are.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The States are also very strong.

SHRI S.M. KRISHNA : If the State Governments are weak, it will be wishful to think that the Central Government can be strong.

SHRI CHITTA BASU : No. The States are not strong.

SHRI S.M. KRISHNA : Now, I am rather amazed that hon. Member Prof. Chakraborty' drew the parallel of a master-servant relationship between the Centre and the State Governments. There could not be a greater distortion of facts than this accusation. Whatever has been done, whether it is in the field of overdrafts or Plan outlay, it has always been done taking the State Governments into full confidence. At times, there could be honest differences of opinion. Well, you did have the conclaves and the coclaves have given room for many conflicts. There is no denying the fact that a broad consensus did not emerge out of all those conclaves. Let me be very very clear. I am sure Prof. Chakraborty will not rebut this. Now, when you yourselves could not come to a broad understanding or a broad consensus would it be proper to ask the Government of India to go the whole hog ?

Now, an impression was sought to be created as if the Government of India can arbitrarily act in terms of allocation of resources to the States. Everything has to be done within the parameters, within the framework of the Constitution.

What does Article 280 say ? It says :

"(3) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to—

(a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under this Chapter and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;

(b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India."

When this is the case, I do not know how Prof. Chakraborty mustered enough courage to accuse us of arbitrariness. The Seventh Finance Commission has given its recommendations and the allocation of the proceeds of the taxes has been done in consonance with the recommendations of the Seventh Finance Commission. I do not see the reason as to how you can take objection to that. These four Bills are just an interim measure to overcome certain technical difficulties in the sense that the Eighth Finance Commission has submitted its report to the President on the 30th and it is to be considered by the President. And action taken report has to be given in Parliament. In the meanwhile, in the month of May we have to release certain portion of the taxes to the States. This has compelled us to come to this House with these amending Bills. So, it is totally out of place to charge the Government that we are arbitrary. It is also said that the Government of India is arrogant. The question of arrogance or humility does not arise at all. Whenever the Finance Minister has looked at the West Bengal's point of view it has always been done with more than the normal consideration which we have given to the other states of the Union. For your information, we are also accused by our own party-men that we are more soft and more liberal towards West Bengal and that they have been going about merrily with their ever-increasing overdrafts and the Government of India just nods or winks at them and all that. So, Prof. Chakraborty will have to look to the other side of the picture also.

For the period 1980-85 the per capita plan outlay approved for West Bengal is Rs. 790 crores which is higher than many of the Congress (I) ruled States. For your

information Bihar is Rs. 572 crores, Orissa Rs. 684 crores, Rajasthan Rs. 786 crores and Uttar Pradesh Rs. 662 crores. As against these facts, to accuse Government of India being arbitrary, arrogant does not stand scrutiny either of logic or reason or facts.

Again coming to West Bengal, we do not want to pick boles in the functioning of the West Bengal Government. That is not my intention and that is not the intention of the Government at all. But when you quote certain statistics, we have also to quote counter-statistics in order to drive home our point.

But what has been West Bengal's actual Plan expenditure as a percentage of its total expenditure ? During 1980-81 to 1982-83 it was just 17.23 per cent. The rest of it is non-plan. How do you compare yourself with the other States like Andhra which is 25.27 per cent, Bihar which is 22.10 per cent, Rajasthan which is 22.38 per cent, Uttar Pradesh which is 30.63 per cent and Maharashtra which is 28.5 per cent ? So, the point which we have made repeatedly is that for reasons best known to the Government of West Bengal, they have devoted more attention towards non-plan expenditure than towards plan expenditure and this is the limited point which we want to drive home...... (*Interruptions*).

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Is price rise only for the Central Government and not for the West Bengal Government ?

SHRI S.M. KRISHNA : Yes, we know, I will add something more...(*Interruptions*).

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : I am putting another question that can you quote the annual figures of foreign exchange earned by West Bengal from jute, tea or engineering and other goods ?

SHRI S.M. KRISHNA : I will make you a little more uncomfortable when I come to one more point...(*Interruptions*).

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : If you yield for half a minute, I will make a request. It is true that we have spent a lot of amount on education. So far as Tamil Nadu is concerned, expenditure on education is part of your plan expenditure but so far as West Bengal is concerned, expenditure on education is non-Plan expenditure, how will you explain it ?

SHRI S.M. KRISHNA : It is not a question of what Tamil Nadu is doing and what West Bengal is not doing, it is a question of Plan expenditure and non-Plan expenditure. So, I am trying to buttress my argument, I am trying to strengthen my argument by relaying the figures which have been provided to us by the West Bengal Government itself.

Now again, what was the commitment on the part of the Government of West Bengal ? The State Government had undertaken to raise resources of Rs. 2,178 crores during the five-year period but what has been the performance ? The State Government has raised a total of only Rs. 452 crores, rather its contribution has been negative during 1981-82. Even the figure of Rs. 452 crores mentioned above is on the assumption that the State Government would have raised the resources they promised for 1983-84 and what they have promised for 1984-85. On the other hand. Government of India had agreed to provide Central assistance for the Plan amounting to Rs. 762 crores as against the five-year figure of Rs. 680 crores. We have provided more for West Bengal. I do not know why we should be accused and after all this accusation being heard why we should be specially soft towards West Bengal. That only shows we are very objective. Regardless of whatever be the charges that you make against the Government of India, we always go by certain parameters, by certain objective consideration without any reference to the complexion or the colour of the Government that is in existence either in West Bengal or in Tamil Nadu or in Andhra Pradesh or in Karnataka.

Regarding certain other points which have been made about the Planning Commission's role, I will say that the planning Commission's role is one to which all of us had given considerable importance. There was a time between 1977-80 when the Planning Commission was relegated to

the back seat, the plan was rolled and rolled and nothing came out of it. It has to be said to the credit of the present Government that full-fledged Planning Commission was established, a Five Year Plan was drawn up and on very many sectors we have achieved the targets and considerable mileage has been drawn in our planning process and, in fact, the planning apparatus has become much sharper than ever before.

Government provide grants and loans. Prof. Chakraborty referred to discretionary grants. These are given whenever there are natural calamities, like flood or drought which endanger the States, when we go to the rescue of the States which are affected by it. There are set procedures under which all the concerned Ministries are involved, they Study Team goes there and makes a report in consultation with the State Government and ultimately certain decisions are taken. In the disbursal of these grants there is no political angle at all; it is a question of necessity and the extent of the damage that has been caused.

Almost every hon. Member stated that the Centre-State relationship is assuming more than normal importance. That is why the Sarkaria Commission has been appointed and it is at work. All the political parties are well within their rights to approach the Commission and present their viewpoints. Ultimately, the Commission is going to present a report to the Government of India, on the basis of which some consensus will emerge.

Shri Chitta Basu referred to the additionnl excise duty and said that it is depriving the States of their resources. The National Development Council in 1970 recommended a ratio of 2:1 between basic and additional excise duty on the three commodities. The ratio now is 1. 2 : 1 which is more in favour of the States than what was recommended by the National Development Council. The share of the States in the excise duties in 1958-59 was about Rs. 40 crores. Now it has gone upto Rs. 795 crores. The additional excise duties go only to the States and we are trying to increase that. We would like the States to get more out of the additional excise duties.

We are also working on the incidence of additional excise duty on the three commodities being progressively stepped up as a percentage of the value. We would like it to go to 8.5 per cent in the current year so that the States might get more out of the additional excise duty. The whole thrust of the approach of the Government of India is to provide more to the States so that the States do not have any difficulty in managing their resources.

But we have to keep one thing in mind. While the resources are limited, the demands are many. Reconciling the conflicting demands and providing the necessary resources is an extremely difficult task. I am sure the Professor realises how difficult a task it is. In West Bengal there are Zilla parishads and panchayat samitis, which are asking for greater decentralisation; they are also asking for more powers for levying taxes to the local bodies.

So what you are facing in West Bengal in terms of the local bodies institutions, we are facing between the States and the Centre. You know, some balance has to be struck. Now, the Finance Commission is a constitutional instrument which has been provided by the Constitution, which really gives the broad guidelines and the Finance Commission has visited all the States, it has heard arguments, it has heard representations by every State and we certainly hope that it would make a very judicious recommendation so that it would be the guiding factor in terms of allocation of resources to the States.

My friend from Jammu and Kashmir, who is always the last speaker and a forceful speaker also, sometimes gets his facts incorrect...

SHRI ABDUL RASHID KABULI: Kindly let me know.

SHRI S.M. KRISHNA : ...or he does not have any consideration towards the facts. (*Interruptions*). The Central assistance to Jammu & Kashmir for its Plan has been very liberal. For 1980-85 Plan while Jammu and Kashmir's outlay is Rs. 900 crores, the Central assistance is Rs. 1056 crores, i.e., more than 100 per cent of the

Plan outlay. So, when this is the case, what is it that you have to complain against the Government of India ? (*Interruptions*). I will try to be helpful to you. (*Interruptions*). The per capita Central assistance to Jammu & Kashmir in 1983-84 is Rs. 509 which is the fifth highest in the entire country. So, any State Government might have any grievance against the Government of India, but certainly not Jammu and Kashmir.

SHRI ABDUL RASHID KABULI : Because he has raised one issue, I want to clarify.

SHRI S.M. KRISHNA : I am not yielding, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is not yielding to you. If you don't agree with whatever the Minister says, you can write to him. If the Minister is not yielding, you cannot ask. That is the point.

(*Interruptions*)

SHRI ABDUL RASHID KABULI : He says I am not giving correct facts. It is an unfortunate thing when he accuses me on this. He should allow me to speak. (*Interruptions*). Let him tell me why I am not correct, why my figures are not correct.

MR DEPUTY-SPEAKER : He is not yielding. If you don't agree with him, write to him.

SHRI S.M. KRISHNA : He talks about tourism. Tourism is a State subject. He talks about apples and fruits, which again is a State subject.

SHRI ABDUL RASHID KABULI : I said that the Centre also should help us. You are not helping us in tourism and other things. We want money for the development of these projects. I said about electricity. There are many projects in that. We can produce 10,000 MW from our rivers. The question is only that you should help us.

SHRI S.M. KRISHNA : Sir, the Government of India is always ready to go to the help of any State which is in need of help.

The other Members also have raised certain points which will be covered by the Eighth Finance Commission's recommendations and also the broader question of Centre-State relationship should be looked into thoroughly by the Commission which has been appointed by the Government of India.

Sir, with these words, I commend all the Bills for consideration.

UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the motion for consideration of the Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill to the vote of the House.

The question is :

"That the Bill to amend the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1979, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister may now move that the Bill be passed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA) : I beg to move :

"That the Bill be passed."